राष्ट्र के विकास में युवाओं की भागीदारी के लिए भारत भर में जन जागृति अभियान – "पुनर्जागरण" के कार्यान्वयन के लिए परिचालन दिशानिर्देश

यूथ प्रोफाइल

भारत के पास युवाओं का सबसे बड़ा समूह है, जो कि परिपक्व होने की ओर अग्रसर है। राष्ट्रीय नीति 2003 में 13–35 वर्ष की आयु समूह के व्यक्तियों को युवा के रुप में परिभाषित किया गया था परंतु वर्तमान राष्ट्रीय नीति 2014 में 15–29 वर्ष के आयु वर्ग को युवा के रुप में परिभाषित किया गया है, जिससे कि विभिन्न नीतिगत तथ्यों के संबंध में अधिक से अधिक गम्भीर व केन्द्रीकृत सोच विकसित की जा सकें। जनसंख्या का 27.5 प्रतिशत भाग 15–29 वर्ष के आयु के समूह के युवाओं का है। वर्तमान में भारत की 34 प्रतिशत सकल राष्ट्र आय में 15–29 वर्ष के युवाओं का योगदान है।

युवा देश की आबादी का सबसे जीवंत और संसाधन पूर्ण हिस्सा है, इनकी सामाजिक, आर्थिक विकास के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका है। गरीबी से बाहर आने एव आजीविका विकास के लिए उनकी आंतरिक क्षमताओं को बाहर लाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिससे कि वे स्वस्थ एवं सार्थक जीवन यापन कर सकें।

पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय, राज्य स्तर पर सरकार और जिला स्तर पर प्रशासन, कई योजनायें देशभर में लोगों के कल्याण हेतु कार्यान्वित कर रही हैं। लेकिन देश के नागरिकों के कल्याण के लिए तैयार की गई सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में उचित रुप से जानकारी न होने के कारण इसका लाभ यथा नियोजित एवं लक्षित संख्या में लोगों तक नहीं पहुँच पाता है। जिसके परिणाम स्वरूप सेवा वितरण प्रणाली और उपयोगकर्ता के बीच एक विशाल खाई बन जाती है। इसलिए जनसंख्या का एक बड़ा अनुपात उनके लिये बनाई गयी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त करने में असमर्थ बना रह जाता है। यह सदैव योजना और कार्यक्रमों के अपेक्षित परिणामों को प्रभावित करता है तथा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के साथ–साथ जन सामान्य मे असंतोष पैदा करता है।

प्रसंग

पंडित दीनदयाल उपाध्याय (25 सितंबर 1916–11 फरवरी 1968) एक भारतीय दार्शनिक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, इतिहासकार, पत्रकार और राजनीतिक कार्यकर्ता थे, वह एक विचारक, शासन और राजनीति के वैकल्पिक मॉडल के लिए एक मार्गदर्शक थे।

उन्होंने एकात्मक मानववाद के दर्शन की वकालत की जोकि भौतिक एवं आध्यात्मिक अवधारणा का एक संश्लेषण है, जिसमे व्यक्तिगत और सामूहिक मानववाद के साथ, भारत के कालातीत परंपराओं की प्राचीन संस्कृति को बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने आधुनिक तकनीक का स्वागत किया जोकि ग्रामीण आधार के साथ आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था और विकेन्द्रीकृत राजनीति के रुप में भारत के लिए आवश्यक थी। दूसरे शब्दों में यह भारत के लोगों के सतत–विकास का मौलिक सिद्धांत है। जब हम सतत–विकास का प्रस्ताव करते हैं तो हम युवाओं के लिये अत्यंत आवश्यक, रोजगार के लिए कौशल और उद्यमशीलता आदि युवाओं से जुड़े मुद्दों का समाधान करते हैं।

महात्मा गांधी जी के 145वीं जयंती (2 अक्टूबर 1869) पर सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए सत्य, अहिंसा और सबके विकास हेतु वर्षभर के लिए देशभर में राष्ट्र विकास में युवाओं की प्रतिभागिता हेतु जनजागृति अभियान आयोजित करने की योजना बनाई गयी है, यह 2 अक्टूबर, 2014 को आरंभ होकर 25 सितम्बर, 2015 को, मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली पर उनकी सौवीं जयंती (25 सितम्बर, 2015) के अवसर पर इसका समापन होगा।

पुनर्जागरण अभियान का केन्द्र बिन्दु

इसकी विशालता और इसकी आवाज, विकेन्द्रीकरण और लोगों की भागीदारी, प्रतीकात्मकता से सहभागितापूर्ण लोकतंत्र, युवा नेता–भारत की निर्बाध प्रगति के लिए ग्रामीण क्षेत्रों, विशेष रूप से जीवंत युवा समितियों के रूप मे पड़ोस युवा संसद की स्थापना करें।

अवधारणा

अभियान का उद्देश्य

•नेहरू युवा केन्द्र के युवा मंडल और पर महिला मंडल से सम्बन्धित युवा नेताओं को राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय व गांव समुदायों और विशेष रूप से युवाओं को प्रभावित करने वाले समकालीन स्थानीय मुद्दों और साथ ही उनके निदान के उपलब्ध अवसरों के प्रति शिक्षित एवं जागरूक बनाना।

•संगठित और असंगठित क्षेत्र में आजीविका के लिए लाभकारी रोजगार और स्वरोजगार के लिए कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने के बारे में जानकारी प्रदान करना।

•मानवता एवं समाज के लिए उच्चतम मानकों एवं स्तर पर निस्वार्थ सेवा और स्वयं सेवा लिए युवाओं को तैयार तथा प्रोत्साहित करना।

- समावेशी विकास की दिशा में युवाओं को सशक्त करना जिससे कि वे अग्रणी भूमिका निभा सकें तथा सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सुशासन हेतु अपेक्षित परिवर्तन के लिए एक उत्प्रेरक के रुप में कार्य कर सकें।

- युवाओं मे भारतीय होने, न्यायपरस्ता, सार्वभौमिक भाईचारे और सार्वजनिक एकता के लिए गर्व तथा राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा देना।

- ग्रामीण समुदाय एवं पंचायतीराज संस्थाओं, स्थानीय प्रशासन के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में **पड़ोस युवा संसद** के माध्यम से अपने अनुभवों को साझा करना एवं विशेष रुप से समाज और युवाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करना।

- समाज के सभी वर्गों से प्रतिनिधित्व के साथ युवा क्लबों और महिला मंडल के मौजूदा नेटवर्क में वृद्धि और सुदृढ़ करना ।

- राष्ट्रीय फ्लैगशिप कार्यक्रमों का प्रचार, प्रोत्साहन एवं सहभागिता को बढ़ावा देना यथा प्रधानमंत्री जन–धन योजना, स्वच्छ भारत मिशन और निर्मल भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण हेतु अभिप्रेरण तथा सुविधा प्राप्त करने मे सहयोग, सांसद आदर्श ग्राम योजना में भागीदारी, सुशासन और श्रमदान को बढ़ावा देना व स्वयं प्रतिभाग करना आदि।

पुनर्जागरण के विषयगत क्षेत्र

- राष्ट्रीयता की भावना, भारतीय होने का गर्व, देश भक्ति, शांति और सार्वभौमिक भाईचारा।

- महिलाओं पर समस्त प्रकार के अत्याचार के कृत्यों को रोकना, और इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए वकालत करना एवं लगातार भाग लेना।

- स्वयं सेवा की भावना को प्रोत्साहित करना– श्रमदान गतिविधियों को आयोजित करना, वृक्षारोपण करना, स्वैच्छिक रक्तदान करना और स्वैच्छिक रक्तदाताओं का नामांकन करना।

- **गरीबी उन्मूलन** : युवाओं में स्वरोजगार और रोजगार सृजन के लिए कौशल विकास, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) का गठन और गांव, ब्लॉक एवं जिला आधारित अवसरों पर जोर देते हुए रोजगार के अवसरों से जोड़ना, जिससे शहर की ओर हो रहा पलायन रूके।

- **सामाजिक मुद्दे** : कन्या भ्रूण हत्या, दहेज, नशीली दवाओं के सेवन और शराब, तम्बाकू नशा उन्मूलन, बाल विवाह आदि के विरूद्ध अभियान और अन्य स्थानीय मुद्दे जिसे युवा वर्ग लेना चाहता है।

- **भ्रष्टाचार मुक्त समाज** और कार्य संस्कृति की शुरूआत।

राष्ट्रीय फ्लैगशिप कार्यक्रमों का प्रचार, प्रोत्साहन एवं सहभागिता को बढ़ावा देना यथाः

•प्रधानमंत्री जन–धन योजना

•स्वच्छ भारत मिशन – स्वच्छ भारत अभियान

•निर्मल भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण हेतु अभिप्रेरण तथा सुविधा प्राप्त करने मे सहय

•सांसद आदर्श ग्राम योजना में भागीदारी

•सुशासन को बढ़ावा देना व स्वयं अनुशीलन करना।

•श्रमदान

पुनर्जागरण की कार्यान्वयन एजेंसी

नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस) – प्रत्येक जिले के लिए एक नेहरू युवा केन्द्र (नेयुके) की योजना वर्ष 1972 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गयी थी। नेहरू युवा केन्द्र संगठन, भारत सरकार की एक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में वष 1987 में अस्तित्व में आया था जो वर्तमान में युवा कार्य विभाग, युवा मामले और खेल मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है। 1972 के बाद से, नेहरू युवा केन्द्रों की मौजूदा संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जो देश के कुल 623 जिलों में सक्रिय कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा 623 जिले मे स्थापित नेहरू युवा केन्द्रों का प्रबंधन और प्रशासन चलाने के लिए एनवाईकेएस द्वारा भारत के 29 राज्यों में मण्डल कार्यालय स्थापित किये गये है।

जनपद स्तर पर, अध्यक्ष के रूप में जिला कलेक्टर के साथ युवा कार्यक्रम (डीएसीवाईपी) के लिए जिला सलाहकार समिति जिला योजना के साथ एनवाईकेएस की गतिविधियों को जोड़ने में मदद करता है। इसी तरह, अध्यक्ष के रूप में राज्य में युवा मामलों के मंत्री के साथ राज्य सलाहकार समिति राज्य की प्राथमिकताओं के साथ एनवाईकेएस कार्यक्रमों समेकित करने में मदद करता है।

एनवाईकेएस का प्रमुख उद्देश्य, देश के ग्रामीण युवाओं को प्रेरित, गतिशील, संगठित करना और गांव आधारित युवा मंडलों के रूप में लोकतांत्रिक संस्थागत तंत्र विकसित करने के लिए उनकी क्षमता को बढ़ाना है। यह उत्पादक और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए उन्हें विकसित और सशक्त करता है कि वे स्वैच्छिक, न्यायपरस्ता और धर्मनिरपेक्षता की भावना के साथ सामुदायिक विकास की गतिविधियों और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी से कार्य करने के लिए स्थानीय नेतृत्व संभालें।

एनवाईकेएस की मुख्य ताकत 13–35 वर्ष के आयु वर्ग में लगभग 8 लाख स्वयंसेवकों की सम्बद्धता के साथ भारत भर में 2.81 लाख ग्राम स्तर युवा मंडल का संजाल है। इसके अलावा, 9717 मेंटर युवा मंडल हैं। इन युवा क्लबों, केंद्रों और जिला एनवाईकेएस के बीच 12,000 राष्ट्रीय युवा कोर के स्वयंसेवक बल है जिनकी सहायता और भागीदारी से एनवाईकेएस अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है।

इसके ग्रामीण युवा आधारित समूह नेहरू युवा केन्द्र संगठन के माध्यम से भारत सरकार के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु देश भर में जिला केंद्रों के बीच समान रूप से कोर कार्यक्रम वितरित करते हैं, युवा विकास और सशक्तिकरण के लिए बने, युवा मामले और खेल मंत्रालय की योजनाओं को लागू करने के अतिरिक्त केन्द्र के मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों और संयुक्त राष्ट्र संघ आदि अन्य विकास एजेंसियों के साथ समन्वय और सहयोग से विशेष कार्यक्रम और परियोजनाएं संचालित करता है।

एनवाईकेएस और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों के विशाल नेटवर्क के उपयोग में एक बदलाव शुरू हो गया है। एनवाईकेएस ने हाल ही में एक ऐसी भूमिका, जिसमे भारत सरकार के साथ–साथ राज्य सरकारों के साथ तालमेल और प्रयासों का अभिसरण, प्रमुख पहल के रूप मे लिया है। युवा मंडल और राष्ट्रीय युवा कोर स्वयं सेवक अब विभिन्न कार्यक्रमों, भारत सरकार और राज्य सरकारों की योजनाओं तक पहुंच के लिए पर्याप्त अवसर औरउपयुक्त मंच प्रदान करते हैं।

नेहरू युवा केन्द्र के साथ जुड़े युवा न केवल प्रेरित, सामाजिक रूप से जागरूक हैं, बल्कि स्वैच्छिक प्रयासों के माध्यम से सामाजिक विकास के काम की ओर भी अग्रसर हैं। इन सभी वर्षों के लिए, एनवाईकेएस की गतिविधियां युवा मंडलों, महिला मंडलों और गांव समुदायों की सक्रिय भागीदारी और आर्थिक एवं गैर आर्थिक विकास के साथ गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों सहित कल्याण की गतिविधियों दोनों पर केंद्रित रही हैं। हालांकि, बहुत अधिक किया जाना अभी शेष है।

लक्षित समूह

किशोरों, युवाओं और उनकी मार्गदर्शक मंडली के साथ–साथ शिक्षकों, अभिभावकों, स्थानीय राजनीतिक और धार्मिक नेताओं, महिलाओं के समूहों पर विशेष ध्यान देने के साथ आम जनता, गांव समुदायों के सदस्यों, पंचायती राज संस्थायें और दूसरे हितधारकों के साथ–साथ विभिन्न स्तरों पर सेवा प्रदाता आदिं।

अभियान की अवधि। 2 अक्टूबर 2014 से 25 सितंबर, 2015

अनुदान एजेंसी/पोषक संस्था

युवा मामले विभाग, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार।

समन्वय और सहयोगी एजेंसियां

कार्यान्वयन की प्रक्रिया मे राष्ट्रीय युवा संगठन अर्थात राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी), भारत स्काउट और गाइड (बीएसजी) को अपने राज्य में और जिलों मे **पुनर्जागरण** अभियान के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में उनकी सक्रिय भागीदारी और योगदान के लिए शामिल किया जाना चाहिए। क्षेत्र मे गतिविधियों के क्रियान्वयन के स्तर और अपेक्षित सहयोग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अभियान की सफलता के लिए नीचे उल्लेख किये गये हितधारकों के साथ समन्वय किया जाना चाहिए। युवा नेताओं, जिला युवा समन्वयक/राष्ट्रीय युवा कोर को अपने प्रयास से, गांव, जिले स्तर के कार्यक्रमों हेतु सहयोगी एजेंसियों से समन्वय कर धन और संसाधन जुटाना चाहिए।

ग्राम स्तरः गांव सलाहकार समिति के माध्यम से ग्राम पंचायतों, युवा मंडलों, महिला मंडलों, मेंटर यूथ मंडल, महिला समूह, ग्राम प्रवक्ताओं, स्थानीय धार्मिक और राजनीतिक नेताओं, गैर सरकारी संगठनों, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम सेवक आदि।

जिला स्तरः युवा कार्यक्रम पर जिला सलाहकार समिति के माध्यम से जिलाधिकारी जिसमे लगभग, विकास विभागों और दूसरों सभी विभागों के प्रमुख शामिल हैं जैसे जिला जन संपर्क कार्यालय, गीत और नाटक प्रभाग, भारत सरकार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला मास मीडिया और शिक्षा अधिकारी, जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण इकाइयों, जल एवं स्वच्छता, क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी और जिला परिषद के अतिरिक्त विभिन्न संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों (जिलों में काम कर रहे), गैर सरकारी संगठन और उद्योग क्षेत्र आदि।

राष्ट्रीय और राज्य स्तर परः चयनित विषयगत क्षेत्रों और मुद्दों पर कार्यरत, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, कॉर्पोरेट सेक्टर, राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों और अन्य के साथ विभिन्न मंत्रालय और विभाग।

कार्यान्वयन की रणनीति, गतिविधियां और समय सीमा

समय सीमा अनुबंध– 1 में दी गयी हैं

पुनर्जागरण के चार मार्गों पर जिलों, प्रखंडों और गांवों को चिन्हित करना

पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 100 वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से कुल 100 जिलों को गतिविधियों से सीधे आच्छादित किया जाएगा। कार्यक्रम 2 अक्टूबर 2014 (गांधी जयंती) पर, देश के चार जिलों से, जो देश के अन्तिम छोर पर स्थित हैं, एक साथ शुरू किया गया है,जम्मू और कश्मीर (उत्तर) में लेह, तमिलनाडु, (दक्षिण) कन्याकुमारी, गुजरात (पश्चिम) में ओखा एवं अरुणाचल प्रदेश (नॉर्थ ईस्ट)में रोइंग। मथुरा (उत्तर प्रदेश) में 25 सितंबर, 2015 को समापन किया जाएगा। चारो मार्गों में से प्रत्येक पर जिलों के राज्यवार नाम अनुबंध –2 में दिए गए हैं।

यात्रा मार्ग नक्शा देश के चार अलग अलग कोनों से 100 जिलों को कवर करने के लिए विकसित किया गया है, जिसका समापन मथुरा मे होगा। मार्ग मे पडने वाले जिलों को चिन्हित कर मैप मे अंकित किया जा चुका है। प्रत्येक जिले में, एनवाईके यूथ मंडल और महिला मंडलों वाले सौ गांवों की पहचान कर नक्शा बनाना और उल्लेख किये गये विषयगत क्षेत्रों के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये निर्धारित कार्यक्रम, अभियान और गतिविधियां आयोजित की जाएगी। यहां उल्लेखनीय है कि चयनित जिलों, ब्लॉक और गांव एक दूसरे से जुड़े होने यानी सीमायें लगी होनी चाहिए। इसके अलावा, एक जिले का कार्यक्रम हेतु चयनित गांव अगले जिले के निर्धारित रूट के गांव के साथ लिंक हो।

प्रत्येक जिले में, ब्लॉक और उनके लक्षित संख्या 100 गांवों को इस तरह से चुना जाना चाहिए कि जिले में यह अलग–अलग हिस्सों और जिले के कोनों को आच्छादित करता हो। इस से पहले, युवा समन्वयक को जिले के चयनित ब्लॉक में मौजूदा सक्रिय युवा मंडलों और महिला मंडलों की संख्या पर, जिला नेयुके यूथ मंडल सर्वेक्षण और महिला मंडलों डेटा और रिकॉर्ड का सम्यक अध्ययन करना चाहिए। रणनीतिक तौर पर नेयुके को ऐसे गांवों का चयन करना चाहिये जहां सक्रिय युवा मंडल हो या जिन गांवों में युवा स्वैच्छिक, सहयोग और स्व–सहायता की भावना के साथ परियोजना के सुचारू कार्यान्वयन में मदद कर सकता है।

इस के अलावा, इस तरह के गांवों को वरीयता दी जानी चाहिए जो पिछड़े हैं और विषयगत क्षेत्रों के बारे में जागरूकता का स्तर कम है और जहॉ इस तरह के कार्यक्रम पूरी ताकत और बल के साथ नहीं पहुंचे हैं।

इस प्रक्रिया के बाद अंत मे चयनित जिले व विकास खण्ड के अनुसार युवा मंडल और महिला मंडलों की सूची और उनके गांवों के पते का आबंटन राष्ट्रीय युवा कोर को क्षेत्रवार अनुबंध–3 में तैयार किया जायेगा। इसके बाद मंडल निदेशक समेकित रूप मे राज्यवार जिला और चयनित ब्लॉक और इस परियोजना के तहत लिये गये युवा मंडलों और महिला मंडलों और उनके गांवों के पते सहित, गतिविधियों के अच्छी तरह से आयोजन के लिए सुविधा प्रदान करने वाले, ऐसे संसाधन व्यक्तियों और संपर्क व्यक्तियों के गांव वार नाम, जिनसे उनके सहयोग की पुष्टि प्राप्त हो चुकी है तथा एनवाईकेएस मुख्यालय नई दिल्ली के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चयनित और आमंत्रित प्रमुख हित धारकों की सूची प्रस्तुत करेंगे। यह अभ्यास 10 जनवरी 2015 तक पूरा किया जाना चाहिए।

पुनर्जागरण के कार्यान्वयन की प्रक्रिया के दौरान सभी राष्ट्रीय युवा कोर की सेवाओं का लाभ उठाया जाना चाहिये। एक जिले में राष्ट्रीय युवा कोर की संख्या के आधार पर गांवों की संख्या उन्हें आवंटित कर प्रभारी बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय युवा कोर को परियोजना के उद्देश्यों, कार्यान्वयन योजना, रणनीतियों और गतिविधियों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए और परियोजना के बारे में जानकारी दी जानी चाहिये। इन्हे प्रोत्साहित किया जाय कि ये युवा समन्वयक के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के अंतर्गत और यूथ मंडल/महिला मंडल आधार पर लक्षित गांव मे सहयोग के साथ गांव स्तरीय परियोजना की गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदारी स्वयं लेने के लिए प्रेरित हों।

2. कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना विकास और रणनीति निर्धारण हेतु ब्रेन स्टोरमिंग कार्यशाला

यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कार्यान्वयन मे सभी स्तरों पर सक्रिय रूप से जिम्मेदार और भागीदार लोग नियोजन, क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण और निगरानी की पूरी प्रक्रिया से अच्छी तरह से वाकिफ हों और उन्हे विधिवत जानकारी दी जाय। इसलिए, 10 व 11 नवंबर 2014 को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला की तर्ज पर, संबंधित मंडल निदेशकों द्वारा रणनीति की स्थापना और जिले में पुनर्जागरण यात्रा के क्रियान्वयन के लिए समय सीमा के साथ कार्य योजना विकसित करने के लिए 15 व 16 जनवरी 2015 के बीच दो दिन की ब्रेन स्टोरमिंग कार्यशाला आयोजित किया जाना चाहिए इस अवसर को कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाना चाहिये। मेजबान राज्य के मंडल निदेशक, निम्नलिखित के अनुसार आमंत्रण और कार्यशाला आयोजन की व्यवस्था करेंगे।

1. गुवाहाटी में असम और अरुणाचल प्रदेश
2. बंगलौर में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल
3. पटना में बिहार और पश्चिम बंगाल
4. गांधीनगर में गुजरात और राजस्थान
5. चंडीगढ़ में दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू–कश्मीर और पंजाब
6. भोपाल में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र
7. लखनऊ में उत्तर प्रदेश

यह कार्यशाला प्रमुखतया अनुबंध –4 में दिए गए निर्धारित प्रारूप पर राज्य और जिला कार्य योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए किया जाएगा। यह संबंधित मंडल निदेशक की जिम्मेदारी होगी तथा उन्हे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कार्यशाला होने की तारीख से एक सप्ताह में अंतिम रूप से तैयार राज्य और जिला कार्य योजनाओं की प्रतियां एनवाईकेएस मुख्यालय को प्रस्तुत कर दी जांय।

कार्यशाला के दौरान निम्नलिखित बिन्दुओं और दिशा निर्देशों में उल्लेखित अन्य पहलुओं पर चर्चा की जानी चाहिए और निश्चित समय सीमा के भीतर कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए रणनीति को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए ।

- अच्छी तरह से अग्रिम में, इस कार्यशाला से पहले ही युवा समन्वयकों को पुनर्जागरण प्रस्ताव और दिशानिर्देश के बारे में बता दिया जाना चाहिए। जिससे वे तैयारी के साथ कार्यशाला मे आयें और निर्धारित प्रारूप अनुबंध–3 पर शामिल किए जाने वाले 100 गांवों की सूची और अन्य विवरण भी साथ लायें।
- पुनर्जागरण परियोजना और यात्रा पर जिला युवा समन्वयको का अभिमुखीकरण।
- गांवों को अंतिम रूप देने और प्रत्येक जिले में मार्ग निश्चित करना और पुनर्जागरण यात्रा के मार्ग पर अगले जिले के गांव के साथ पिछले गांव की कड़ी सुनिश्चित करना।
- जिले के चिन्हित गांवों में कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के लिए अपनायी जाने वाली रणनीति और समय सीमा।
- गांव और जिला स्तर पर इस कार्यक्रम की गतिविधियों की अवधि और कार्यान्वयन रणनीति और गतिविधियों के प्रकार (अभियान, अभियान पूर्व के वातावरण निर्माण, मीडिया और प्रचार गतिविधियों, जागरूकता और पड़ोस संसद, जिला सम्मेलन का शुभारंभ) आदि। इस प्रयोजन के लिए गांव स्तरीय गतिविधियों के लिए एक माडल कार्यक्रम अनुसूची विकसित किया जाना है, जो जरूरत के अनुसार संशोधन के साथ अन्य गांवों के लिए भी अपनाया जा सकता है।
- राज्य सरकार और जिला प्रशासन द्वारा कार्यान्वित योजनाओं और कार्यक्रमों के संग्रह कर एक विवरणिका विकसित करना जिसे अभियान की गतिविधियों के दौरान वितरण के लिए, स्थानीय भाषा मे मुद्रित कराना है।
- अन्य स्रोतों से आर्थिक संसाधन जुटाना।
- राज्य, जिला और पंचायत स्तर पर समर्थन बैठकों का आयोजन।
- अभियान पूर्व शुरूआत और वातावरण निर्माण और निर्धारित फार्मेट में डेटा और जानकारी का संग्रह
- अभियान शुरू करने के लिए चयनित युवाओं को प्रशिक्षण
- प्रतिभागियों, कार्यक्रमों के प्रकार और उनकी संख्या।
- आईईसी गतिविधियों, मीडिया और प्रचार गतिविधियों
- योजना, रसद और कार्यान्वयन के तौर तरीके।
- अन्य विभागों, एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, उद्योग, गैर सरकारी संगठनों, युवा मंडल, एनएसएस, एनसीसी और दूसरों से धन, संसाधनों और समर्थन जुटाने के लिए समन्वय और रणनीतियां।
- विभिन्न स्तरों पर भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करना।
- 100 गांवों की कार्य योजनाओं पर आधारित समेकित जिला कार्य योजना का विकास।
- जिला यूथ कन्वेंशन के आयोजन से एक जिले में यात्रा का समापन।
- निगरानी और पर्यवेक्षण
- रिपोर्टिंग और प्रलेखन
- अनुश्रवण के तरीके।
- दिशा–निर्देशों में उल्लेख किये गये अन्य महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश।

नियमित कार्यक्रमों के लिये निर्धारित बजट का संगठनात्मक खर्च का मद, राज्य स्तरीय बैठकों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह अवसर एनवाईकेएस के कार्यक्रमों, योजनाओं और अन्य मामलों की समीक्षा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अधिकारियों के टीए और डीए एनवाईकेएस के नियमों के अनुसार बुक किया जा सकता है।

3. राज्य, जिला और पंचायत स्तर समर्थन/संवेदीकरण बैठक

कार्यक्रम के वास्तविक क्रियान्वयन से पहले, राज्य, जिला और पंचायत स्तर पर आयोजन समितियों का गठन किया जाना चाहिए। मूल उद्देश्य एक तरफ समर्थन और संसाधन जुटाना तथा दूसरी तरफ निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के साथ, प्रभावी कार्यान्वयन का उचित कार्यक्रम नियोजन, समन्वय, कार्यान्वयन, पारदर्शिता और निगरानी सुनिश्चित करना है। यह रणनीति विभिन्न स्तरों पर सभी हित धारकों के बीच अभिसरण के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभायेगी इसके अलावा राज्य, जिला और पंचायत स्तर के विकास एजेंसियों और एनवाईकेएस के बीच की कड़ी को सुदृढ करने मे सुविधा होगी। राज्य और जिला समितियों की पहली बैठक जनवरी 2015 के अंतिम सप्ताह के दौरान आयोजित किया जाय।

अः राज्य आयोजन समितियों

पुनर्जागरण हेतु चयनित प्रत्येक राज्य में राज्य आयोजन समिति, नियोजन और चयनित परियोजना को लागू करने के लिए गठित किया जाना चाहिए। राज्य आयोजन समिति राज्य के मुख्य सचिव के साथ परामर्श कर, मंडल निदेशक द्वारा गठित किया जाना चाहिए। राज्य स्तरीय समिति के सदस्यों मे संबंधित विभागों के सचिवों को शामिल किया जा सकता है, जो पुनर्जागरण परियोजना की गतिविधियों के सफल आयोजन और अनुश्रवण यथा जिला कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रत्यक्षतया सहायक हो सकते हैं। प्राथमिकता और आवश्यकता के अनुसार मंडल निदेशक द्वारा सदस्यों को राज्य के मुख्य सचिव के साथ परामर्श कर चुना जा सकता है। समिति मे राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और प्रमुख गैर सरकारी संगठनों से मिलाकर 12–15 सदस्य रखे जा सकते हैं। समिति की बैठक दो महीने में एक बार या राज्य में पुनर्जागरण परियोजना के अनुश्रवण, मार्गदर्शन, संसाधन, समर्थन प्रदान के लिए आवश्यकतानुसार की जा सकती है। राज्य आयोजन समिति की बैठक की रिपोर्ट के लिए अनुबंध–5(i) देखें।

बः जिला आयोजन समिति/युवा कार्यक्रम पर जिला सलाहकार समिति

प्रत्येक जिले में नेयुके, युवा कार्यक्रम पर जिला सलाहकार समिति (डीएसीवाईपी) पहले से ही कार्य कर रहा है और इसकी बैठकें नियमित आधार पर बुलाई जाती हैं। जिला युवा समन्वयक जिला में पुनर्जागरण अभियान के संगठन के उद्देश्य के लिए विशेष डीएसीवाईपी की बैठक के लिए कोर कार्यक्रम के तहत डीएसीवाईपी के दिशा निर्देशों का उल्लेख कर सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए, डीएसीवाईपी सदस्यों के अलावा, जिला लोक संपर्क अधिकारी, क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी की तरह विभागों के अन्य प्रमुखों, जिला मास मीडिया अधिकारी, संवाददाता ऑल इंडिया रेडियो, जिला खेल अधिकारी, जन स्वास्थ्य, जल और स्वच्छता अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी, गैर सरकारी संगठनों के प्रमुखों और व्यावहारिक रूप से इस परियोजना के सफल कार्यान्वयन में मदद कर सकने वाले अन्ये दूसरे लोग उपायुक्त/जिलाधिकारी के साथ परामर्श कर शामिल किया जा सकता है।

ऊपरोक्त कार्यवाही के बाद, युवा समन्वयक पुनर्जागरण परियोजना के बारे में, इन दिशा–निर्देशों की प्रति उपलब्ध कराते हुये उपायुक्त/जिलाधिकारी (जो युवा कार्यक्रम पर जिला सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी है) को अवगत भी कराना चाहिए। युवा समन्वयक द्वारा इस परियोजना के लिए एक विशेष बैठक बुलाने के लिए डीएसीवाईपी के अध्यक्ष से अनुरोध करना चाहिए।

बैठक के दौरान जिला सलाहकार समिति के सदस्यो को पुनर्जागरण परियोजना के बारे में जानकारी दी जाय और इसके दिशा निर्देशों और परियोजना सारांश की प्रति भी उपलब्ध करायी जाय। इसके अलावा परियोजना के विवरण, व्यापक कार्यान्वयन की योजना, ब्लॉक और गांवों के चयन के साथ ही भविष्य की रणनीति पर विचार–विमर्श किया जाना चाहिए। बैठक के दौरान ठोस परिणाम और स्थिरता के साथ निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समन्वय पर चर्चा और सहायता प्रदान करने वाले विभागों और एजेंसियों की पहचान और समन्वय के स्वरूप को अन्तिम रूप दिया जाना चाहिये।

समय को बचाने के क्रम में, डीएसीवाईपी बैठक से पहले ही, युवा समन्वयक को 100 गांवों की कार्य योजनाओं के आधार पर विकसित, भविष्य की कार्य योजना के कार्यान्वयन मे संसाधन, सहयोग सुनिश्चित करने हेतु, गांवों की सूची और संबंधित विवरण (अनुबंध–3) और ब्रेन स्टोरमिंग कार्यशाला के दौरान अंतिम रूप से तैयार, कार्य योजना (अनुबंध –4) समस्त सम्बन्धित को उपलब्ध करा देना चाहिये। जिससे वे बैठक मे संसाधन और सहयोग के सम्बन्ध मे तैयारी के साथ आयें। जिला आयोजन समिति पर रिपोर्ट करने के लिए अनुबंध–5(ii) देखें।

पंचायत/ग्राम आयोजन समितियांः

जमीनी स्तर पर पर्यवेक्षण, निगरानी, मार्गदर्शन और सहयोग के लिए, पुनर्जागरण पर ग्राम स्तरीय समितियों नामक गांव सलाहकार समिति (ग्राम आयोजन समिति), चयनित पंचायत/गांवों में से प्रत्येक में ग्राम पंचायत प्रधान की अध्यक्षता में गठित किया जाना चाहिए। आयोजन समिति के सदस्यों मे युवा मंडल के अध्यक्ष, स्थानीय धार्मिक नेताओं, स्कूल/कॉलेज शिक्षक, एनएसएस, एनसीसी, ग्रामसेवक, ग्राम में भारत स्काउट एंड गाइड्स, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता, युवा विकास के लिए काम कर रहे, युवा मंडल और स्थानीय गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि आदि लिये जा सकते हैं। नेयुके के राष्ट्रीय युवा कोर स्वयंसेवक ग्राम आयोजन समिति के सदस्य सचिव होंगे।

समिति के प्रस्तावित सदस्यों के अलावा, अन्य व्यक्तियों और अधिकारियों को भी समिति के अध्यक्ष के साथ परामर्श कर समिति में शामिल किया जा सकता है जो व्यावहारिक रूप से इस परियोजना के सफल कार्यान्वयन में मदद कर सकते हैं। यह प्रत्येक समिति की पहली बैठक के उपरांत किया जाना चाहिए। बैठक के दौरान, वर्तमान में स्थिति, परियोजना विवरण, कार्य योजना, कार्यान्वयन की व्यापक योजना और भविष्य की रणनीति पर विचार–विमर्श किया जाना चाहिए। बैठक की कार्यवाही राष्ट्रीय युवा कोर के द्वारा लिखी जायेगी और जिला नेयुके के रिकॉर्ड में रखा जाना चाहिए।

ग्राम आयोजन समिति, गांव समुदायों, अभियान पूर्व वातावरण निर्माण, घरेलू शौचालय की गैर मौजूदगी का प्रामाणिक आंकड़ा संग्रहण, पुनर्जागरण यात्रा की गतिविधियों के आयोजन यथा रैली,समूह चर्चा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, लघु नाटिका, नुक्कड नाटक और जागरूकता विकसित करने के कार्यक्रम और पड़ोस संसद के दौरान विकसित की गयी कार्य योजना के कार्यान्वयन मे सहायक होगी। गांव सलाहकार समिति के बैठक की रिपोर्ट करने के लिए अनुबंध 5(iii) देखें। गांव सलाहकार समिति की बैठक की जिलेवार विवरण हेतु अनुबंध –5 (iv)पर किया जाना है।

4. **अभियान टीम नायकों का प्रशिक्षण**

इन 100 जिलों में से प्रत्येक में, नेतृत्व के गुण और 60 दिन समर्पित कर सकने वाले, 50 उत्साही, प्रेरित और शिक्षित युवाओं का चयन किया जाना है और उन्हे एक बैच में 7 दिन का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उन्हे अच्छी तरह से पुनर्जागरण विषयगत विषयों पर शिक्षित और गांव स्तर पुनर्जागरण यात्रा की गतिविधियों में उत्कृष्ट दायित्व निर्वहन/प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक कौशल से लैस एवं उन्मुख किया जाना चाहिए। पुरुष और महिला प्रतिभागिता अनुपात आदर्श रूप मे 1:1 होना चाहिए। इस प्रशिक्षण के दौरान राष्ट्रीय युवा कोर को भी शामिल किया जाना चाहिए।चयनित **अभियान टीम नायकों** के लिए रिपोर्टिंग प्रारूप अनुबंध– 6 (i) में है।

पहले स्लॉट के जिलों के लिए समय सीमा के अनुरूप फरवरी के पहले सप्ताह तक प्रशिक्षण पूरा किया जाना चाहिए। रिपोर्ट केलिये देखें अनुबंध – 6 (ii)।

• जिला युवा समन्वयकों के प्रशिक्षण देने वाली एजेंसियों, संदर्भ व्यक्तियों और विशेषज्ञों तथा आईईसी सामग्री उपलब्ध कराने या मार्गदर्शन और वर्णित विषयों पर प्रशिक्षण की सामग्री विकसित/उपलब्ध कराने मे सहयोग करने वालों की पहचान करें और फिर आगे विषयगत क्षेत्रों के स्थानीय विशेषज्ञों के परामर्श से और सुधार करना चाहिये। इसके अलावा एक सार्थक और प्रभावी क्षमता निर्माण के लिये इन दोनों ही विकल्पों के मिश्रण को भी अपनाया जा सकता है।

•जिला युवा समन्वयक द्वारा ऐसे स्थल का चयन करना चाहिये, जहां प्रशिक्षण गतिविधियों का सफल आयोजन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जहां पुरुष और महिला प्रतिभागियों के लिये भोजन एवं आवास, प्रशिक्षण हेतु बुनियादी ढांचा, शिक्षण–प्रशिक्षण के उपस्कर और उपकरणों, बिजली पावर बैकअप के साथ, पानी, साफ–सफाई और अन्य सुविधाएं आदि उपलब्ध हों।

• गांव और जिला स्तर की गतिविधियों और उनके बेहतर परिणाम के लिये पहले से ही अच्छी तरह से प्रशिक्षण एजेंसी या संदर्भ व्यक्तियों के समूह की पहचान सुनिश्चित कर लेना चाहिये, और प्रशिक्षण प्रदाताओं को उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी जानी है।

• प्रत्येक जिला युवा समन्वयक को समय से तिथि, स्थान और अन्य विवरण, प्रतिभागियों और संसाधन व्यक्तियों को सूचित करना चाहिए ताकि वे पूर्ण तैयारियों के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सक्षम हो सकें।

• प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रशिक्षण विषयों और विषयों की सामग्री,चिन्हित विशेषज्ञों और कार्यक्रम के संदर्भ व्यक्तियों के साथ परामर्श से तैयार किया जाय। प्रशिक्षण सामग्री के लिये सुझाव नीचे दिए गए हैंः–

- ❖ पुनर्जागरण यात्रा, गतिविधियों और कार्यक्रमों के विवरण।
- ❖ यात्रा का मार्ग, बुनियादी ढांचे और सम्भावित परिणाम।
- ❖ चयनित युवाओं की भूमिका और जिम्मेदारियां।
- ❖ युवा नेतृत्व
- ❖ कैसे एक बैठक/समूह चर्चा का संचालन किया जाय।
- ❖ सार्वजनिक व्याख्यान देना और सवालों के जवाब देना।
- ❖ सम्वाद कौशल
- ❖ पुनर्जागरण के विषयगत क्षेत्रों के बारे में विस्तृत ज्ञान और जानकारी देना यथा राष्ट्रवाद, महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास, स्वच्छ भारत, जन धन योजना, राष्ट्रवाद, देशभक्ति और, भारतीय होने का गौरव, स्वयंसेवा की भावना को बढ़ावा देना, श्रम दान के आयोजन, सामाजिक मुद्दों जैसे, नशीली दवाओं के सेवन की रोकथाम, युवाओं के बीच स्वरोजगार और रोजगार सृजन के लिए कौशल विकास, भ्रष्टाचार मुक्त समाज और कार्य संस्कृति की शुरूआत।
- ❖ गांव स्तरीय बैठक का संचालन कैसे करें।
- ❖ गांव कार्य योजना का निर्माण।
- ❖ रिपोर्टिंग और प्रलेखन

जिला युवा समन्वयक जिले मे राष्ट्रीय युवा कोर के साथ चयनित युवाओं के प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु, विषय आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन गीत और नाटक प्रभाग, आल इंडिया रेडियो, क्षेत्रीय प्रचार कार्यालय और स्थानीय सांस्कृतिक संगठन के कलाकारों की मदद से नुक्कड नाटक, कठपुतली, नृत्य और समूह गीत का प्रयास करेंगे।

क्रिया विधि

प्रशिक्षण पूर्णतया सहभागी होना चाहिए। प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्नलिखित तरीके अपनाये जा सकते हैंः

•आइस ब्रेकिंग

•विशेषज्ञों द्वारा विषयों पर व्याख्यान

•समूह चर्चा

- समूह आख्या, लेखन एवं प्रस्तुति
- रोल प्ले
- ओपन हाउस चर्चा
- प्रश्नोत्तरी सत्र
- नेबरहुड पार्लियामेंट का पूर्वाभ्यास
- प्रतिदर्श कार्ययोजना विकास का अभ्यास
- गृह कार्य

प्रशिक्षण में प्रयुक्त होने वाली सन्दर्भ सामग्री, प्रशिक्षण से पूर्व ही विभिन्न विकास से सम्बन्धित विभागों के कार्यक्रमों व विकास योजनाओं के विवरण के साथ विषय विशेषज्ञों एवं संदर्भ व्यक्तियों के सहयोग से पुस्तिका के रूप में संकलन कर मुद्रित करा लें। उपरोक्त संदर्भ सामग्री की पुस्तिका तथा प्रशिक्षण समय सारिणी, प्रतिभागियों के मध्य प्रशिक्षण में आने से पूर्व ही वितरित कर दें ताकि वे सम्बन्धित विषयों की अग्रिम तैयारी कर सकें।

5 – प्रेस एवं मीडिया अभियानः– अभियान के प्रचार एवं इसके लाभ को जन समुदाय तक पहुॅचाने के लिए **राष्ट्रीय, राज्य एवं जनपद स्तरीय** मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ प्रेस कान्फ्रेंस किया जाना अत्यन्त महत्वपूर्ण होगा। पुनर्जागरण

परियोजना का सारांश व विवरण (यथासम्भव हैंड बिल/ब्रोशर के रूप में) आमन्त्रित मीडिया से सम्बन्धित व्यक्तियों के मध्य कम से कम एक दिन पूर्व अवश्य वितरित करें। इस कार्य के लिए पहले ही व्यवस्थित तैयारियॉ कर लेनी चाहियें तथा प्रथम प्रेस मीट 10 फरवरी, 2015 से पूर्व की जानी चाहिये। इसके उपरान्त 02 माह बाद तथा यात्रा समापन से पूर्व भी प्रेस मीट की जानी चाहिये। विभिन्न संचार माध्यमों के प्रतिनिधियों को प्रतिदिन रिपोर्ट में लिए ग्राम स्तर पर अभियान के प्रचार प्रसार हेतु जोडा जाना चाहिये।

जिला स्तरीय प्रेस कान्फ्रेंसः–जनपद में पुनर्जागरण यात्रा की गतिविधियॉ शुरू होने से पहले ही जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कार्यक्रम के व्यापक प्रचार प्रसार के मद्देनजर जिला स्तरीय प्रेस कान्फ्रेंस संयोजित की जानी चाहिये। इस प्रेस कान्फ्रेंस का समन्वयन सम्बन्धित जिला युवा समन्वयक,जिला आयोजन समिति के सहयोग से करेंगे। जिला युवा समन्वयक प्रेस कान्फ्रेंस में जिला प्रशासन के अधिकारियों स्थानीय विभिन्न प्रेस और मीडिया के प्रतिनिधियों एवं जिला जन सम्पर्क अधिकारी के सहयोग से बैठक को संचालित करने का प्रयास करेंगें। कृपया जनपद स्तरीय मीडिया एवं प्रचार अभियान की रिपोर्ट अनुबनध 7(1) के अनुरूप अभिलिखित करें।

इसी प्रकार **राज्य स्तरीय प्रेस कान्फ्रेंस** राज्य के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित की जानी चाहिये। ताकि पुनर्जागरण अभियान एवं इससे सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों को यथोचित प्रचार प्रसार मिल सके। यह आयोजन मण्डल निदेशक द्वारा राज्य आयोजन समिति के सहयोग से किया जायेगा। मण्डल निदेशक प्रेस कान्फ्रेंस का अयोजन राज्य के मुख्य सचिव, राज्य जनसम्पर्क अधिकारी, सूचना निदेशक तथा इलेक्ट्रॉनिक व प्रिन्ट मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित करेंगे।

कृपया अनुबन्ध 7(2) राज्य स्तरीय मीडिया एवं प्रसारण अभियान की रिपोर्टिंग के लिए देखें।

राष्ट्रीय स्तरः– राष्ट्रीय स्तर पर पुनर्जागरण के प्रचार हेतु प्रेस कान्फ्रेंस का आयोजन युवा कार्य एवं खेल मन्त्रालय भारत सरकार, पीआईबी, प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ आहुत की जायेगी। इस बैठक का आयोजन पुनर्जागरण अभियान की विभिन्न गतिविधियों के प्रचार हेतु युवा कार्य एवं खेल मंत्री की अध्यक्षता में किया जायेगा ।

मीडिया एवं प्रचार प्रसारः– लोगों तथा मस्कटः– सम्बन्धित मण्डल निदेशकों के साथ 02 दिवसीय कार्यशाला के दौरान चर्चा के अनुरूप यह विचार व्यक्त किया गया कि पुनर्जागरण परियोजना का लोगो नेहरू युवा केन्द्र संगठन के लोगो के साथ विकसित किया जाना चाहिये। यही लोगो विभिन्न प्रकार के प्रचार प्रसार सामग्री, बैनर तथा बैज आदि में उपयोग किया जाना चाहिये।

विज्ञापन तथा प्रचार–प्रसार अभियानः– पुनर्जागरण अभियान का व्यापक प्रचार तथा विज्ञापन टीवी, रेडियों, स्वतंत्र चैनल, समाचार चैनल, आकाशवाणी/एफएम रेडियो सिनेमाहाल आदि के माध्यम से किया जाना चाहिये।

प्रचार सामग्री जैसे पोस्टर, बैनर्स ब्रोशर, स्टीकर, बैजेज फिल्म तथा डॉक्यूमेंटरी प्रदर्शन, दीवार नारा लेखन, चित्रकला प्रतियोगिता, प्रदर्शनी तथा विभिन्न स्तरों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, फील्ड पब्लिसिटी विभाग एवं भारत सरकार के गीत एवं नाट्य प्रभाग के सहयोग से आयोजित किये जाने चाहिये।

टोपी एवं टी–शर्ट जिला स्तर पर सभी चुने गये स्वयं सेवियों को पुनर्जागरण अभियान के लोगो वाली टी–शर्ट एवं टोपियॉ उपलब्ध कराई जायेंगी।

5–पुनर्जागरण यात्रा मार्ग पर डॉक्यूमेंटरी निर्माण एवं वीडियोग्रॉफी की तैयारियॉः– चारों यात्रा मार्गों पर विस्तृत वीडियोग्राफी की जायेगी, ताकि सम्पूर्ण पुनर्जागरण यात्रा की डॉक्यूमेंटरी फिल्म बन सके तथा इन फिल्मों का प्रदर्शन मथुरा में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पुनर्जागरण कार्यक्रम में किया जा सके।

6:–पुनर्जागरण यात्रा के वातावरण निर्माण अभियानः–

(अ) जनपद स्तरीय अभियान की शुरूआतः– पुनर्जागरण परियोजना के रूप में नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा सभी चुने गये 100 जनपदों में समस्त सहयोगियों और हित धारकों को इस प्रस्तावित कार्यक्रम के बारे में संवेदित करने के लिए एक जनपद स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला अधिकारी, अग्रणी युवा नेता, पंचायत प्रतिनिधि, प्रिन्ट एवं मीडिया के प्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के जिला प्रमुख, जिला युवा सलाहकार समिति

के सदस्य, राजनैतिक तथा धार्मिक प्रमुख, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा अन्य सभी सहयोगियों को भी इस बैठक में सम्मिलित किया जायेगा। इस बैठक का आयोजन (अभियान शुरू होने के प्रथम चरण के केन्द्रों द्वारा) 15.1.2015 से 15.2.2015 के मध्य किया जाना चाहिये। इसकी आख्या हेतु देखें अनुबन्ध– 8

इस बैठक के दौरान समस्त प्रतिनिधियों को पुनर्जागरण परियोजना के उददेश्य विभिन्न गतिविधियों, कार्य योजना तथा अपेक्षित पंचायत से सहयोग की रूपरेखा के बारे में चर्चा की जानी चाहिये। इस कार्यक्रम के आयोजन में युवाओं और सभी प्रमुख सहयोगियों का समर्थन प्राप्त करना, जिससे आम जन मानस में पुनर्जागरण अभियान के उददेश्यों, रणनीति, विकास के कार्यक्रमों की वर्तमान स्थिति तथा योजनाबद्ध तरीके से समस्याओं एवं मुददों के सामूहिक समाधान की आवश्यकता के प्रति सर्व स्वीकारिता बढ सके। इस एक दिवसीय कार्यक्रम के माध्यम से जन सहभागिता तथा इस कार्यक्रम के प्रति अपनापन भी लोगों के मन में विकसित किया जाना चाहिये, जिससे जनपद के लक्षित 100 गांवों में हित धारकों के स्वनियोजन के साथ कार्यक्रम का उपयुक्त संपादन किया जा सके। इस अभियान में सक्रिय सहभागिता एवं युवाओं एवं ग्रामीण समुदाय को लाभ पहुॅचाने के लिए अभिप्रेरित किया जाना चाहिये।

(ब) <u>जनपद के चुने गये 100 गांवों में वातावरण निर्माणः–</u>

इस अभियान का आरम्भ वातावरण निर्माण की गतिविधियों के साथ होना चाहिये जिसमें स्थानीय युवा नेता, राजनैतिक एवं धार्मिक प्रमुख तथा स्थानीय नेतृत्व वातावरण निर्माण करने के लिए अपना सहयोग दें सके एवं पुनर्जागरण गतिविधियों को ग्राम स्तर पर निरन्तरता प्रदान की जा सके। इन गतिविधियों के माध्यम से समस्त सहयोगियों को परियोजना के उददेश्य, कार्ययोजना तथा संभावित उपलब्धियों से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी दी जानी चाहिये ताकि अधिकतम जन सहयोग सुनिश्चित किया जा सके। इन गतिविधियों के माध्यम से पुनर्जागरण अभियान को आम जन मानस में स्वीकार्य कार्यक्रम बनाने में तथा प्रभावित लोगों एवं उनके परिजनों को यह कार्यक्रम, विकास की विभिन्न योजनाओं के सफल कियान्वयन एवं परोक्ष अपेक्षित परिणामों के सन्दर्भ में चिन्हित गांव में अपना प्रभाव छोड़ सकेगा। गांव में पुनर्जागरण यात्रा शुरू होने से पहले ही यह गतिविधि पूर्ण हो जाना चाहिये।

इस गतिविधि के माध्यम से गांव की शिक्षा का स्तर, कार्यक्रम आयोजन के लिए स्कूल एवं कालेजों की स्थिति का आंकलन तथा ऐसे लोगों को सूचीबद्ध करने में भी सहायता मिलेगी जिनकी बात लोग सुनते हैं तथा जिसके बारे में एकमतता हो, उनके अनुरूप ही आयोजन हेतु गतिविधियों की प्राथमिकता तय करने में, विभिन्न स्तर पर लक्षित गांव केन्द्रित गतिविधियों में सहयोगी संस्थाओं की पहचान करने में विभिन्न स्तर पर समस्त गतिविधियों को लक्षित गांवों में क्रियान्वित करने में सहयोग मिल सकेगा। लक्षित गांवों में पुनर्जागरण रथ के आने से पूर्व व्यक्तिगत सम्पर्क तथा नेटवर्किंग, ग्राम बैठक, प्रमाणित आधारभूत आंकडों का संकलन, जागरूकता निर्माण, युवा नेताओं का सहयोग टीम बिल्डिंग तथा समन्वयनकारी संस्थाओं के चिन्हीकरण में पूर्व वातावरण निर्माण गतिविधियों के माध्यम से सहयोग मिलेगा। पुनर्जागरण परियोजना के अन्तर्गत 2–3 क्लस्टर स्तरीय पूर्व वातावरण निर्माण गतिविधियों का आयोजन किया जायेगा। कृपया संशोधित <u>युवा मण्डल विकास कार्यक्रम'</u> मार्गदर्शिका का अनुगमन करें। इन गतिविधियों से सम्भावित प्रतिफल के प्रमुख अवयव निम्नानुसार होंगेः–

- क्लस्टर में युवा मण्डलों तथा महिला मण्डल अधिक मजबूत बनेंगे।
- गैर आच्छादित गांव में नये युवा मण्डलों तथा महिला मण्डलों का गठन होगा तथा उन्हें नेहरू युवा केन्द्र के साथ आनलाइन सम्बद्धता के लिए प्रेरित किया जायेगा।
- वर्तमान युवा मण्डल तथा महिला मण्डल अधिक सक्रिय होंगे।
- वर्तमान युवा मण्डल तथा महिला मण्डल में सक्रिय सदस्य संख्या में वृद्धि होगी।
- युवा मण्डलों में समाज के विभिन्न वर्गों यथा अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ीजाति, अल्पसंख्यक महिलाओं तथा शारीरिक रूप से विकलांग सदस्यों की सहभागिता बढ़ेगी। गांव में युवा मण्डल तथा महिला मण्डल का निम्नानुसार सर्वेक्षण करें तथा युवा मण्डल विकास कार्यक्रम दिशानिर्देशिका में दिये गये अनुबन्ध 9(अ) से 9(द) के अनुरूप रिपोर्ट दें।
  (1) ऐसे युवा मण्डल सदस्य जिनके घरों में शौचालय नहीं हैं ।

  (2) ऐसे युवा मण्डल सदस्य जिनके बैंक खातें नहीं खुले हैं।

(3) ऐसे युवा मण्डल जिनके बैंक खाते नहीं हैं।

उपरोक्त आंकडों के अतिरिक्त इन गतिविधि का उपयोग निम्नलिखित विषयगत क्षेत्रों से सम्बन्धित सूचना पृष्ठ–3 के अनुरूप एकत्र करने में भी किया जाना चाहिये जैसेः– गांव की समस्यायें, विकास से सम्बन्धित अपेक्षायें, सामाजिक मुददे तथा अन्य ऐसे स्थानीय विषय जिन्हें युवा तथा ग्रामवासी विभिन्न विभागों के सहयोग से हल करना चाहते हैं, इसके लिए प्रत्येक गांव की अलग से विवरणी तैयार की जाये तथा गांव की नेबरहुड पार्लियामेंट में चर्चा के लिए बेसपेपर के रूप में प्रस्तुत किया जाये।

- गांव के युवा तथा सामान्य गांववासियों को इस बात के लिए अभिप्रेरित किया जाना चाहिये ताकि वे पुनर्जागरण गतिविधियों के माध्यम से पुनर्जागरण यात्रा तथा नेबरहुड पार्लियामेंट के सहभागी बनें।
- इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए बजट युवा मण्डल विकास कार्यक्रम के मार्गदर्शिका के अनुरूप होगा, जिसमें उपरोक्तानुसार तथ्यात्मक आंकडों एवं सूचनाओं का संकलन अनुबन्ध 9(क) तथा 9(स) में किया जायेगा।

7–अभियान की तैयारी गतिविधियॉः–

राज्य विशेष की उन योजनाओं का संकलन जो सम्बन्धित जनपदों में संचालित की जा रही होंः– मण्डल निदेशक राज्य स्तर पर ऐसी समस्त योजनाओं का स्थानीय भाषा में संकलन तैयार करेंगे जो चिन्हित जनपदों के युवाओं तथा ग्रामवासियों के लिए संचालित की जा रही हों । इन्हें सम्बन्धित विभागों से एकत्र करके एक पुस्तिका के रूप में जन सामान्य को वितरित करने के लिए प्रिन्ट कराया जायेगा। इनको 30.1.2015 तक प्रथम चरण के राज्यों के द्वारा विकसित तथा संकलित किया जायेगा ।

रथ का निर्माण एवं मार्ग का निरूपण :– जिला युवा समन्वयक द्वारा अपने जनपद के लिए 03 ऐसे रथों का विकास किया जायेगा जिसमें पीए सिस्टम, प्रदर्शनी, बैनर्स दृश्य–श्रव्य व्यवस्था, सांस्कृतिक उपकरण, प्रचार सामग्री, बैनर्स आदि प्रथम चरण के गांवों द्वारा 15.2.2015 से 25.2.2015 के मध्य ऐसे रथ तैयार कर लिय जायेंगे। अन्य गांवों द्वारा बजट प्राप्ति होने पर ही रथों का विकास किया जायेगा, किन्तु वे जनपद भी इस के क्रियान्वयन को अन्तिम रूप देकर रथ का प्रोटाइप तैयार कर लेंगे। इसके लिए अनुबन्ध 15 देंखें जो कि मण्डल निदेशक, नेयुकेसं, मध्य प्रदेश द्वारा भेजा गया है।

आपसे निवेदन है कि कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए जनपदवार दी गई समय सारिणी तथा विस्तृत मार्गदर्शिका के अनुरूप होगी (कृपया पृष्ठ संख्या 16, 17 एवं 18 का सन्दर्भ लें)

इस बात का ध्यान रखें कि प्रत्येक जनपद में 100 गांवों की 60 दिनों में आच्छादित करने के लिए तीन सुसज्जित रथों का निर्माण तथा संचालन तीन अलग अलग स्थानों से करेंगे।

समय सारिणी के अनुसार जनपद के अन्तिम गांव का कार्यक्रम आच्छादन उपरोक्तानुसार निर्धारित अन्तिम तिथि को ही किया जाना है, इसी प्रकार अगले जनपद के प्रथम गांव का कार्यक्रम भी समय सारिणी में निर्धारित तिथि को ही किया जाना है ताकि यात्रा के सतत् संचालन में कोई व्यवधान न आये। कृपया कार्यक्रमों को निर्धारित तिथि से आगे या पीछे किसी भी दशा में न किया जाये।

<u>विशेषज्ञों तथा सन्दर्भ व्यक्तियों का समूहः–</u> अभियान के दौरान आवश्यक सेवा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षकों तथा सन्दर्भ व्यक्तियों की पहचान कर पहले से ही सूचीबद्ध कर लिया जाय। उन्हें पुनर्जागरण परियोजना के उददेश्य, अपेक्षाओं तथा इस कार्यक्रम के अपेक्षित परिणाम के विषय में पूर्व में ही सूचित कर दिया जाय।

कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए जिलाधिकारी तथा जिला पंचायत प्रमुख/मुख्य अधिशासी अधिकारी के द्वारा अपने अधीनस्थ सभी ग्राम पंचायत प्रधानों, विकास विभाग के प्रमुखों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को इस कार्यक्रम के साथ सम्बद्ध करने के लिए पत्र लिखा जाना चाहिये तथा उन्हें अपने–अपने विभागों की योजनाओं एवं प्रचार–प्रसार सामग्री को संकलित करके वितरित करने के लिए एवं कार्यक्रम के सफल संचालन में सहयोग करने के लिए अग्रिम सूचना प्रदान की जानी चाहिये।

पुनर्जागरण यात्रा हेतु प्रस्तावित जनपदवार समय सारणी

क्रमांक	पुनर्जागरण यात्रा हेतु 60 दिन का निर्धारित चरण (समय सीमा)	रूट नं0 1 लेह से मथुरा		रूट नं0 2 ओखा से मथुरा		रूट नं0 3 कन्याकुमारी से मथुरा		रूट नं0 4 रोइंग से मथुरा		फेज में आछादित जनपदों की संख्या
		जनपद का नाम	संख्या	जनपद का नाम	संख्या	जनपद का नाम	संख्या	जनपद का नाम	संख्या	
1.	1 मार्च 2015 से 29 अप्रैल 2015	1. ऊधमपुर 2. जम्मू 3. कठुआ 4. पठानकोट	4	1. ओखा 2 पोरबंदर 3 राजकोट	3	1 कन्याकुमारी 2 तिरूवन्तपुरम 3 कोल्लम 4 विरूधुनगर 5 मदुरई 6 डिंडिगुल	6	1 रोइंग 2 तेजू 3 इटानगर 4 तिनसुखिया 5 लखीमपुर 6 कामरूप 7 कोंकराझार	7	20
2..	30 अप्रैल 2015 से 28 जून 2015	1 चम्बा 2 धर्मशाला 3 ऊना 4 रोपड	4	1 सुरेन्दरनगर 2 अहमदाबाद 3 गॉधीनगर	3	1 करूर 2 नमक्काल 3 सलेम 4 धर्मापुरी 5 बंगलुरू 6 तुमकुर	6	1 जलपाईगुरी 2 दार्जिलिंग 3 किशनगंज 4 पुरनिया 5 मधेपुरा 6 सहरसा 7 दरभंगा	7	40
		1 लेह 2 कारगिल 3 श्रीनगर 4 बडगाम 5 पुलवामा 6 अनंतनाग	6	1 हिम्मतनगर 2 डूंगरपुर 3 उदयपुर	3	1 अनंतपुर 2 कुरनूल 3 महबूबनगर 4 गुलवर्ग 5 शोलापुर	5	1 मुजफफरपुर 2 वैशाली 3 सारन 4 बलिया 5 गाजीपुर 6 वाराणासी	6	

पुनर्जागरण यात्रा हेतु प्रस्तावित जनपदवार समय सारणी

क्रमांक	पुनर्जागरण यात्रा हेतु 60 दिन का निर्धारित चरण (समय सीमा)	रूट नं0 1 लेह से मथुरा		रूट नं0 2 ओखा से मथुरा		रूट नं0 3 कन्याकुमारी से मथुरा		रूट नं0 4 रोइंग से मथुरा		फेज में आछादित जनपदों की संख्या
		जनपद का नाम	संख्या	जनपद का नाम	संख्या	जनपद का नाम	संख्या	जनपद का नाम	संख्या	
3	29 जून 2015 से 27 अगस्त 2015	1 मोहाली एवं चण्डीगढ	4	1 राजसमंद	3	1 लातूर	6	1 भदोही	7	40
		2 अम्बाला		2 अजमेर		2 नादेड		2 इलाहाबाद		
		3 कैथल		3 जयपुर		3 वर्धा		3 प्रतापगढ		
		4 जीद				4 अकोला		4 सुल्तानपुर		
						5 नागपुर		5 अमेठी		
						6 राजनन्दगॉव		6 रायबरेली		
								7 बाराबंकी		
		1 सोनीपत	3	1 दौसा	3	1 मंडला	7	1 उन्नाव	7	
		2 अलीपुर		2 भरतपुर		2 नरसिंहपुर		2 कानपुर		
		3 फरीदाबाद		3 मथुरा		3 भोपाल		3 लखनऊ		
						4 विदिशा		4 ओरिया		
						5 शिवपुरी		5 इटावा		
						6 ग्वालियर		6 फिरोज़ाबाद		
						7 धौलपुर		7 आगरा		

पुनर्जागरण यात्रा प्रारंभ करने के लिए सभी चार मार्गों के तहत जिलों के समूह के लिए 60 दिनों के स्लॉट की समय सीमा का विस्तृत दिशा–निर्देश

पुनर्जागरण यात्रा के तहत कुल 100 जिले लिये गये हैं। 3 स्लाट के चार मार्ग हैं तथा प्रत्येक की समयावधि 60 दिन है। विस्तृत विवरण निम्नानुसार है, जिसे कडाई से पालन किया जाय।

जिलों के नाम और समय सीमा के साथ समयः स्लॉट नंबर 1–(1 मार्च 2015 से 29 अप्रैल 2015 तक)

उपरोक्त यात्रा समय चार्ट के अनुसार 60 दिनों के पहले स्लॉट में रूट नंबर 1 (लेह से मथुरा) के चार जिलों (उधमपुर, जम्मू, कठुआ, पठानकोट) रूट न0 2 (ओखा से मथुरा) के 3 जिले (ओखा, पोरबंदर, राजकोट) रूट नं 03 (कन्या कुमारी से मथुरा) मे 6 जिले (कन्याकुमारी, तिरूवनंतपुरम, कोल्लम, विरुधुनगर, मदुरै, डिंडीगुल) रूट न0 4 (रोइंग से मथुरा) के 7 जिलों (रोइंग, तेजु, ईटानगर, असम राज्य के तिनसुकिया जिले के सीमावर्ती गांव सादिया को भी कवर किया जाना चाहिए), लखीमपुर, कामरूप, कोकराझार) जो 1 मार्च 2015 से 29 अप्रैल 2015 तक कुल 20 जिलों में शुरू होगा।

जिलों के नाम और समय सीमा के साथ समय स्लॉट नंबर 2 (30 अप्रैल 2015 से, 28 जून 2015 तक)

60 दिनों की समय रेखा के दूसरे स्लॉट में **रूट 1** (लेह से मथुरा) मे चार जिलों (चंबा, धर्मशाला, ऊना, रोपड़) **रूट नंबर 2** (ओखा से मथुरा) में 3 जिला (सुरेन्द्र नगर, अहमदाबाद, गांधीनगर), **रूट न0 3** (कन्याकुमारी से मथुरा) 6 जिलों (करूर, नामक्कल, सेलम, धर्मापुरी, बंगलुरू, तुमकुर) और **रूट 4** (रोइंग से मथुरा) में 7 जिलों (जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, किशनगंज, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा) जो 30 अप्रैल 2015 से 28 जून 2015 तक कवर होना चाहिए।

60 दिनों की समय सीमा के दूसरे स्लाट मे **रूट नंबर 1** (लेह से मथुरा) के 6 जिलों (लेह, कारगिल, श्रीनगर, बड़गाम, पुलवामा, अनंतनाग) **रूट न0 2** (ओखा से मथुरा) में तीन जिले (हिम्मतनगर, डूंगरपुर, उदयपुर), **रूट 3** में (कन्याकुमारी से मथुरा) मे **5 जिलों** (अनंतपुर, कुरनूल, महबूबनगर, गुलबर्गा, शोलापुर) और **रूट न0 4** (रोइंग से मथुरा) मे **6 जिलों** (मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी)

30 अप्रैल 2015 से 28 जून 2015 तक कुल 40 जिले कवर किया जाना चाहिए।

जिलों के नाम और समय सीमाके साथ समय स्लॉट नंबर 3ः (29 जून 2015 से 27 अगस्त 2015)

60 दिनों के समय सीमा के तीसरे स्लाट मे **रूट नंबर 1** (लेह से मथुरा) के चार जिलों (मोहाली व चंडीगढ़, अंबाला, कैथल, जींद), **रूट न0 2** (ओखा से मथुरा) में 3 जिले (राजसमन्द, अजमेर, जयपुर) **रूट न0 3** (कन्याकुमारी से मथुरा) में 6 जिलों (लातूर, नांदेड़, वर्धा, अकोला, नागपुर, राजनांदगांव) और **रूट न0 4** (रोइंग से मथुरा) मे 7 जिलों (भदोही, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी) 29 जून 2015 से 27 अगस्त 2015 तक कवर किया जाना चाहिए।

60 दिनों के समय सीमा के तीसरे स्लाट मे **रूट न0 1** (लेह से मथुरा) में तीन जिलों (सोनीपत, अलीपुर, फरीदाबाद), **रूट न0 2** (ओखा से मथुरा) मे 3 जिला (दौसा, भरतपुर, मथुरा) **रूट न0 3** (कन्याकुमारी से मथुरा) में सात जिलों (मण्डला, नरसिंहपुर, भोपाल, विदिशा, शिवपुरी, ग्वालियर, धौलपुर) और **रूट न0 4** (रोइंग से मथुरा) मे 7 जिलों (लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, औरैया, इटावा, फिरोजाबाद, आगरा) 29 जून 2015 से 27 अगस्त 2015 तक कुल 40 जिले कवर किया जाना चाहिए।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक जिले में पुनर्जागरण यात्रा के लिए सभी सुविधाओं के साथ तीन रथ होना चाहिए। जिले में अंतिम गांव को समय सीमा स्लाट की अंतिम तिथि में शामिल किया जाना चाहिए। इसी तरह, दूसरे स्लॉट के जिले की यात्रा उस टाइम स्लॉट में उल्लेखित आरंभ तिथि के अनुसार शुरू कर देना चाहिए।

8. पुनर्जागरण अभियान की गतिविधियों का आयोजन

प्रत्येक चिन्हित जिले में, तीन रथों का, बैनर, पोस्टर, सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली और सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों पर प्रकाश डालने वाली, योजनाओं का संग्रह आदि सहित, जागरूकता और शिक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली, दृश्य–श्रव्य सामग्री और संसाधन टीम के रूप में प्रशिक्षित युवा समूह रथ का हिस्सा होगा। रथ यात्रा द्वारा एक जिले में 100 गांवों को कवर किया जाएगा। प्रत्येक गांव में सार्वजनिक सभा और बातचीत के माध्यम से शिक्षा और जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक गांव में वे छह घंटे रह कर निम्नलिखित चिन्हित विषयों पर आधारित गतिविधियों, डेटा एकत्रीकरण और वातावरण निर्माण अभियान के परिणाम प्रतिवेदन आदि कार्य सम्पन्न होगा।

- विषयगत क्षेत्रों पर लघु नाटिक एवं नुक्कड नाटक
- सरकार द्वारा शुरू की गई विकास योजनाओं और फ्लैगशिप कार्यक्रमों पर फिल्म शो।
- थीम आधारित संस्कृतिक कार्यक्रम
- योजनाओं से सम्बन्धित आईईसी सामग्री का संग्रह और वितरण
- पड़ोस संसद के दो सत्रों का आयोजन
- विशेषज्ञों और अभियान दल नेतृत्वकर्ताओं द्वारा व्याख्यान
- समूहों की बैठक
- ओपन हाऊस चर्चा
- प्रश्न और जवाब सत्र

अभियान दल नेतृत्वकर्ताओं द्वारा सायं के समय या किसी भी ऐसे समय गांव में कार्यक्रम का आयोजन करेगा जब ग्रामीणों और युवाओं की अधिकतम संख्या गांव में उपलब्ध हो तथा वे भाग ले सकें। इस अवसर का साफ–सफाई अभियान के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। इसमे संबन्धित जिला युवा समन्वयक, स्वतः भी अतिरिक्त संसाधन और निवेश लाकर कार्यक्रम को अधिकतम प्रभावी बनाने के लिये स्वतंत्र होगा।

पड़ोस संसद : इस गतिविधि के तहत दो सत्र होंगे।

सत्र 1

- इसमे प्रत्येक स्थान पर टीम के 50 सदस्यों, मेजबान और पड़ोसी गांवों से 200 स्थानीय युवकों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा।
- एक गांव में छह घंटे की गतिविधियों में से दो–तीन घंटे में मुख्य रूप से भागीदारी और विचार विमर्श की गतिविधि के लिए समर्पित किया जाएगा।
- शुरुआत में वक्ता, गरीबी, बेरोजगारी और विशेष रूप से गांव समुदायों और युवाओं से सम्बन्धित मुद्दों सहित समकालीन स्थानीय मुद्दों पर व्याख्यान देंगे।
- गतिविधियां ऊपर उल्लेख किये गये विषयगत क्षेत्रों के इर्द गिर्द होनी चाहिये।
- हालांकि, ये केवल सुझाव ही हैं, यह स्थानीय युवा नेताओं और विशेषज्ञों पर निर्भर करेगा कि वे कौन से स्थानीय समकालीन मुद्दे विचार–विमर्श के लिए लेना चाहते हैं।

- यह महसूस किया गया है कि जनसामान्य का ध्यान विचलन रोकने के लिये ब्रेन स्टार्मिंग एवं ब्याख्यानों के बीच लोकप्रिय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समुचित उपयोग किया जाना चाहिए।

सत्र 2

- इस सत्र में प्रतिभागी इन मुद्दों पर विचार–विमर्श करेंगे तथा वक्ता मध्यस्थता करेंगें।
- अंत में युवा मंडल, युवा नेताओं के स्तर पर कार्रवाई के लिये भविष्य की कार्ययोजना, विचार–विमर्श के मिनट, (कार्यवाही) लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय और सरकार के विभागों एजेंसियों और ग्राम पंचायतों के साथ ही विभिन्न स्तरों पर से वाप्रदाताओं से अपेक्षित सहयोग एवं कार्यवाही हेतु सिफारिशों को तैयार किया जायेगा।
- यह अभिलेख संबंधित ग्राम पंचायत प्रधान, स्थानीय प्रशासन यानी कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट, संबंधित जिला और ब्लॉक के विभागों एवं जिला और ब्लॉक पंचायत के सहयोग के साथ कार्रवाई के लिए, सौंप दिया जाएगा।
- कार्यक्रम का समापन सम्बन्धित गांव के 5 पदाधिकारियों के समूह द्वारा प्रस्तावित कार्ययोजना के निर्माण व उसकी प्रस्तुति के उपरान्त होगा।

यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पुनर्जागरण कार्यक्रम मे सहयोग करने वाले जन प्रतिनिधि यथा माननीय मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद के सदस्यों के साथ ही विकास विभाग, गैर–सरकारी संगठनों, एजेंसियों के प्रमुखों को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाय। गांव की गतिविधियों और पड़ोस संसद कार्यक्रम पर रिपोर्ट करने के लिए कृपया देखें अनुबंध –10। ग्रामस्तर पड़ोस संसद चर्चा, सिफारिश और कार्य योजना की रिपोर्ट हेतु अनुबंध– 10 (ए) और पड़ोस संसद अनुबंध की उपस्थिति पत्रक – 10 (बी)।

यह गतिविधि (प्रथम चरण जिलों के 20 जिलों) के लिए 1 मार्च 2015 से 29 अप्रैल 2015 से शुरू कर देना चाहिए। अन्य जिलों में (द्वितीय चरण के 40 जिलों के लिए) यह अप्रैल 30 जून 2015 –28 जून 2015 मे शुरू कर देना चाहिए। और (तृतीय चरण के 40 जिलों के लिए) 29 जून से 27 अगस्त 2015 के लिए पेज 17 पर चरणावधि के अनुसार उल्लेख किया गया है और 27 अगस्त 2015 तक पूरा किया जाना चाहिए।

9. जिला सम्मेलन और जिला कार्य योजना को अंतिम रूप देना

प्रत्येक चयनित जिले के 100 गांवों में गतिविधियों के पूरा होने के बाद, एक–एक दिवसीय जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जाना चाहिए। हर जिले में जिला स्तर पर, समापन समारोह कार्यक्रम पर एक बड़ा कार्यक्रम, गांव स्तर की गतिविधियों की तर्ज पर न्यूनतम 2000 युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। विचार–विमर्श के मिनट का सारांश, लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय और 100 गांवों मे भविष्य की कार्रवाई की कार्य योजना, सिफारिशों को आवश्यक कार्रवाई के लिए कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट और अध्यक्ष जिला परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

जिला स्तरीय सम्मेलन में भाग लेने वालों में मुख्य रूप वे सभी लोग भाग लेंगें जैसे, प्रशिक्षित अभियान नेतृत्वकर्ता टीम के सदस्य, युवा मंडल नेताओं, जिन्होंने गांवों मे अभियान का सहयोग किया, इसके अतिरिक्त पंचायतीराज सदस्यों, राजनीतिक और धार्मिक नेताओं, डीएसीवाईपी सदस्यों, गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों, विभिन्न जिला स्तरीय कार्यालयों के प्रमुखों, प्रेस/मीडिया और पुनर्जागरण अभियान के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में जो अन्य लोगों ने सहयोग किया है।

जिला सम्मेलन में पूर्व वातावरण निर्माण कार्यक्रम के समय संकलित प्रामाणिक आधारभूत गांव स्तर के आकडे तथा 100 गांवों की कार्य योजना के आधार पर विकसित समेकित कार्य योजना पर उपरोक्तानुसार पड़ोस संसद प्रारूप

के रूप में प्रस्तुत और चर्चा की जाएगी। जिला स्तरीय सम्मेलन में, पुनर्जागरण परियोजना की जिला स्तरीय कार्य योजना विकसित कर अंतिम रूप दिया जाएगा।

कार्यक्रम में फिल्म का प्रदर्शन, बैनर और स्टैण्डी, ग्रामस्तर पर आयोजित, गांव युवा संसद में हुये विचार–विमर्श और अन्य गतिविधियों की सिफारिश को प्रस्तुति किया जाना चाहिए। प्रतिभागियों, हित धारकों और सेवा प्रदाताओं को उन्हें अपने स्वयं के विचारों के साथ परियोजना के तहत गतिविधियॉ शुरू करने के लिए, इस परियोजना के लिए अपनेपन की भावना विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्हे अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में अवगत कराया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए कोर कार्यक्रम के तहत जिला कन्वेंशन के लिए दिशानिर्देशों के अनुरूप आवंटित बजट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस गतिविधि को अनुबंध –1 में दिये गये समय और कार्यान्वयन योजना के अनुसार पूरा किया जाना चाहिए।

यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जन प्रतिनिधि यथा माननीय मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों के साथ ही पुनर्जागरण कार्यक्रम मे सहयोग करने वाले विकास विभाग, गैर सरकारी संगठनों, और अन्य एजेंसियों के प्रमुखों को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए।

100 ग्राम स्तरीय पड़ोस संसद चर्चा एवं सिफारिशों पर आधारित जिला स्तरीय समेकित कार्य योजना की रिपोर्ट के लिए प्रारूप अनुबंध–11 और जिला स्तरीय कन्वेंशन की रिपोर्टिंग अनुबंध– 12, प्रयोग हेतु दिया गया है।

10. प्रलेखन, रिपोर्टिंग, पर्यवेक्षण और अनुश्रवण

परियोजना का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण एनवाईकेएस मुख्यालय स्तर पर महानिदेशक, जबकि क्षेत्र में मंडल निदेशक, उपनिदेशकों और जिला युवा समन्वयक द्वारा किया जाएगा। समय–समय पर परियोजना की प्रगति और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति और अपेक्षित परिणामों की निगरानी, कार्यान्वयनकर्ताओं, हित धारकों और लाभार्थियों के साथ बातचीत, परियोजना क्षेत्र का भ्रमण और एमआईएस प्रारूपों एवं रिपोर्टों के माध्यम से किया जायेगा। कार्यक्रम की रिपोर्टिंग के लिये एनवाईकेएस वेबसाइट **www-nyks-org** में वीडियो क्लिपिंग और फोटोसहित रिपोर्टों को अपलोड कर सकते हैं। समेकित जिला एवं राज्य स्तरीय रिपोर्ट हेतु अनुबंध –13 और पुनर्जागरण यात्रा कार्यक्रम के पूरा होने पर जिलेवार उपलब्धि पर रिपोर्टिंग के लिए क्रमशः अनुबंध–14 प्रयोग करें। सुलभ सन्दर्भ हेतु रथ का प्रोटो टाइप अनुबंध–15 पर है।

राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम

राष्ट्रीय स्तर कार्यक्रमः भारत के चारों कोनों से सम्पूर्ण एक वर्ष चले कार्यक्रमों का समापन समारोह 10,000 युवा नेताओं और स्वयं सेवकों की भागीदारी के साथ मथुरा में 25 सितम्बर 2015 को आयोजित किया जाएगा। इन युवाओं मे 100 भाग लेने वाले जिलों से 4,000 प्रतिभागी तथा शेष 6,000 जुड़े राज्यों से प्रतिभाग करेंगे।

बजट विवरण

जिला स्तरीय कार्यक्रमों का कुल बजट

क्र.सं.	विवरण	राशि (रुपये में)
1	ग्राम स्तरीय कार्यक्रम (एक जिले में समसंख्यक गांवों में 100 कार्यक्रम + पड़ोस संसद (100 कार्यक्रम x 2500)	250000
2	जिले में 50 युवा नेताओं को 7 दिवसीय प्रशिक्षण (रुपये 5000 प्रति युवा x 50)	250000
3	100 दिन के लिए 50 युवा नेताओं के लिए भोजन एवं आवास रुपये 125 प्रति दिन (50 x 100x 125)	625000
4	एक जिले में 100 दिनों के लिए छोटा रथ (रुपये 3000 प्रति दिन x 100)	300000
5	जिला स्तरीय पुनर्जागरण का शुभारंभ रुपये 50,000 की दर से और जिला स्तरीय सम्मेलन कार्यक्रम रुपये 1,00,0000 की दर से प्रति जिला	150000
	कुल योग प्रति जिला	**15,75,000**

पुनर्जागरण के अभियान शुभारंभ हेतु जिलावार बजट

क्र.सं.	विवरण	राशि (रुपये में)
1.	1000 व्यक्तियों के लिए रुपये 30 प्रति प्रतिभागी की दर से जलपान व्यवस्था	30000
2.	कार्यक्रम का शुभारंभ और रैली के आयोजन के लिए व्यय जिसमें जन सम्बोधन सिस्टम, मंच तैयार करना, कार्यक्रम आयोजन के लिए स्थान निर्धारण का प्रबंध करना, बैनर मुद्रण, स्टेज के लिए बैकड्राप, अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए जलपान, फोटोग्राफी, विडियोंग्राफी तथा दस्तावेज तैयार करना शामिल है।	10000
4.	संगठनात्मक एवं विविध व्यय	10000
कुल योग प्रति जिला		**50,000**

जिला सम्मेलन और जिले की कार्य योजना को अंतिम रुप देने के लिए बजट

क्र.सं.	विवरण	राशि (रुपये में)
1.	2000 व्यक्तियों के लिए रुपये 30 प्रति प्रतिभागी की दर से जलपान व्यवस्था	60000
2.	प्रोजेक्टर एवं स्क्रीन भाडे पर लेना, बैनर मुद्रण, स्टेज के लिए बैकड्राप, साऊंड सिस्टम, अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए जलपान, फोटोग्राफी, विडियोंग्राफी तथा दस्तावेज तैयार करना।	15000
3	कार्यक्रम आयोजन हेतु 1 दिन के लिए स्थान निर्धारण का प्रबंध करना	10000
4.	संगठनात्मक एवं विविध व्यय (परिवहन, बैठने की व्यवस्था , मीडिया एवं प्रचार आदि)	15000
कुल योग प्रति जिला		**1,00,000**

युवा नेताओं के टीम नायकों के लिए 7 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु जिला स्तरीय बजट

क्र.सं.	बजट का मुख्य विवरण	कुल कीमत
1	50 व्यक्तियों के लिए 7 दिनों के लिए रुपये 350 प्रति व्यक्ति की दर से भोजन एवं आवास व्यय (50 x 7 x350)	122500
2	50 व्यक्तियों के लिए रुपये 350 प्रति व्यक्ति की दर से संदर्भ सामग्री और किट बैग (350 x 50)	17500
3	7 दिनों के लिए रुपये 3000 प्रति दिन की दर से प्रशिक्षण हॉल/स्थान किराये पर लेना (7 x 3000)	21000

	50 प्रतिभागियों के लिए रुपये 500 प्रतिभागी की दर से आने–जाने का व्यय/डीए वास्तविक रुप में (50 x 500)	25000
4	10 संदर्भ व्यक्तियों के लिए रुपये 2000 प्रति व्यक्ति की दर से आने–जाने का व्यय/डीए वास्तविक रुप में (10 x 2000)	20000
5	3 संदर्भ व्यक्तियों को 7 दिन के लिए रुपये 1000 प्रति व्यक्ति की दर से मानदेय (3 x 7 x 1000)	21000
6	8 दिनों के लिए रुपये 1000 प्रतिदिन की दर से एक टैक्सी/वाहन भाडे पर लेना (इसमें पीओएल शामिल है।) (8 x 1000)	8000
7	रिपोर्ट लेखन/दस्तावेजीकरण/कॉस्टुम/उपकरण	10000
8	संगठनात्मक/आकस्मिक व्यय	5000
	कुल	**250000**

योजना के संग्रह के मुद्रण टी–शर्ट एवं टोपियॉ बनवाने के लिए राज्यवार विवरण

क्र. सं.	राज्य/मंडल	संग्रह के मुद्रण के लिए जिलेवार गणना	9 जिलों में प्रत्येक लि के लिए 300 युवा नेताओं के लिए टी–शर्ट एवं टोपियॉ	कुल (राशि रुपये में)
1	जम्मू एवं कश्मीर	9 जिलों के लिए प्रत्येक जिला हेतु 10,000 संग्रह के मुद्रण के लिए रुपये 10 प्रति संग्रह की दर से (लेह, कारगिल, श्रीनगर, बड़गांव, फुलवामा, अंततनाग, उद्यमपुर, जम्मू एवं कठुआ) योजनाओं के संग्रह का मुद्रण 100000 x 9 =900000	9 जिलों में प्रत्येक जिले के 300 युवा नेताओं को टी–शर्ट एवं टोपियॉ (300 x 9 x Rs. 200) = 5,40 ,000/-	1440000
2	पंजाब	3 जिलों के लिए प्रत्येक जिला हेतु 10,000 संग्रह के मुद्रण के लिए रुपये 10 प्रति संग्रह की दर से (पठानकोट, रोपड़ तथा मोहाली एवं चण्डीगढ) योजनाओं के संग्रह का मुद्रण =3 x100000 = 300000	3 जिलों में प्रत्येक जिले के 300 युवा नेताओं को टी–शर्ट एवं टोपियॉ (300 x 3 x Rs. 200)= 1,80,000/-	480000
3	हिमाचल प्रदेश	3 जिलों के लिए प्रत्येक जिला हेतु 10,000 संग्रह के मुद्रण के लिए रुपये 10 प्रति संग्रह की दर से (ऊना, धर्मशाला चंबा) योजनाओं के संग्रह का मुद्रण = 3 x 100000 = 300000	3 जिलों में प्रत्येक जिले के 300 युवा नेताओं को टी–शर्ट एवं टोपियॉ (300 x 3 x Rs. 200)= 1,80,000/-	480000
4	हरियाणा	5 जिलों के लिए प्रत्येक जिला हेतु 10,000 संग्रह के मुद्रण के लिए रुपये 10 प्रति संग्रह की दर से (अम्बाला, कैथल, जींद, सोनीपत एवं फरीदाबाद) योजनाओं के संग्रह का मुद्रण =5 x 100000 = 500000	5 जिलों में प्रत्येक जिले के 300 युवा नेताओं को टी–शर्ट एवं टोपियॉ (300 x 5 x Rs. 200)= 3,00,000/-	800000
5	दिल्ली	1 जिले के लिए प्रत्येक जिला हेतु 10,000 संग्रह के मुद्रण के लिए रुपये 10 प्रति संग्रह की दर से (अलीपुर) योजनाओं के संग्रह का मुद्रण = 1 x 100000= 100000	1 जिले में प्रत्येक 300 युवा नेताओं को टी–शर्ट एवं टोपियॉ (300 x 1 x Rs. 200)= 60,000/-	160000
6	गुजरात	7 जिलों के लिए प्रत्येक जिला हेतु 10,000 संग्रह के मुद्रण के लिए रुपये 10 प्रति संग्रह की दर से (ओखा, पोरबंदर, राजकोट, सुरेन्द्र नगर, अहमदाबाद,गांधीनगर एवं हिम्मतनगर) योजनाओं के संग्रह का मुद्रण = 100000 x 7 = 700000	7 जिलों में प्रत्येक जिले के 300 युवा नेताओं को टी–शर्ट एवं टोपियॉ (300 x 7 x Rs. 200)= 4, 20,000	1120000
7	राजस्थान	8 जिलों के लिए प्रत्येक जिला हेतु 10,000 संग्रह के मुद्रण के लिए रुपये 10 प्रति संग्रह की दर से (डुंगरपुर, उदयपुर, राजमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर) योजनाओं के संग्रह का मुद्रण = 8 x 100000 = 800000	8 जिलों में प्रत्येक जिले के 300 युवा नेताओं को टी–शर्ट एवं टोपियॉ (300 x 8 x Rs. 200)= 4, 80,000/-	1280000
8	तमिल नाडू	8 जिलों के लिए प्रत्येक जिला हेतु 10,000 संग्रह के मुद्रण के लिए रुपये 10 प्रति संग्रह की दर से (कन्याकुमारी, विरुद्धानगर, मदुरै, डिंडेगुल, करुर, नाम्मकल्ल, सेलम, और धर्मापुरी) योजनाओं के संग्रह का मुद्रण =8 x 100000 = 800000	8 जिलों में प्रत्येक जिले के 300 युवा नेताओं को टी–शर्ट एवं टोपियॉ (300 x 8 x Rs. 200)= 4, 80,000/-	1280000
9	केरल	2 जिलों के लिए प्रत्येक जिला हेतु 10,000 संग्रह के मुद्रण के लिए रुपये 10 प्रति संग्रह की दर से (तिरुवअंतपुरम, कोल्लम) योजनाओं के संग्रह का मुद्रण = 2 x 100000 = 200000/-	2 जिलों में प्रत्येक जिले के 300 युवा नेताओं को टी–शर्ट एवं टोपियॉ (300 x 2 x Rs. 200)= 1, 20,000	320000
10	कर्नाटक	3 जिलों के लिए प्रत्येक जिला हेतु 10,000 संग्रह के मुद्रण के लिए रुपये 10 प्रति संग्रह की दर से (बैगलुरु, तुमकुर, बुलबर्गा) योजनाओं के संग्रह का मुद्रण = 3 x 100000 = 300000	3 जिलों में प्रत्येक जिले के 300 युवा नेताओं को टी–शर्ट एवं टोपियॉ (300 x 3 x Rs. 200)= 1,80,000/-	480000
11	आंध्र प्रदेश	2 जिलों के लिए प्रत्येक जिला हेतु 10,000 संग्रह के मुद्रण के लिए रुपये 10 प्रति संग्रह की दर से (अनंतपुर, कुरुरनुल) योजनाओं के संग्रह का मुद्रण = 2 x 100000 = 200000	2 जिलों में प्रत्येक जिले के 300 युवा नेताओं को टी–शर्ट एवं टोपियॉ (300 x 2 x Rs. 200)= 1, 20,000	320000
12	तेलंगाना	1 जिले के लिए प्रत्येक जिला हेतु 10,000 संग्रह के मुद्रण के लिए रुपये 10 प्रति संग्रह की दर से (महबूब नगर) योजनाओं के संग्रह का मुद्रण =1 x 100000 = 100000	1 जिले में प्रत्येक 300 युवा नेताओं को टी–शर्ट एवं टोपियॉ (300 x 1 x Rs. 200)= 60,000/-	160000
13	महाराष्ट्र	6 जिलों के लिए प्रत्येक जिला हेतु 10,000 संग्रह के मुद्रण के लिए रुपये 10 प्रति संग्रह की दर से (सोलापुर, लातूर, नांदेड, वर्धा, अकोला एवं नागपुर) योजनाओं के संग्रह का मुद्रण =6 x 100000 = 600000	6 जिलों में प्रत्येक 300 युवा नेताओं को टी–शर्ट एवं टोपियॉ (300 x 6 x Rs. 200)= 3, 60,000/-	960000
14	छत्तीसगढ़	1 जिले के लिए प्रत्येक जिला हेतु 10,000 संग्रह के मुद्रण के लिए रुपये 10 प्रति संग्रह की दर से (राजनंदगांव) योजनाओं के संग्रह का मुद्रण = 1 x 100000 = 100000	1 जिले में प्रत्येक 300 युवा नेताओं को टी–शर्ट एवं टोपियॉ (300 x 1 x Rs. 200)= 60,000/-	160000

क्र. सं.	राज्य/मंडल	संग्रह के मुद्रण के लिए जिलेवार गणना	9 जिलों में प्रत्येक लि के लिए 300 युवा नेताओं के लिए टी–शर्ट एवं टोपियॉ	कुल (राशि रुपये में)
15	मध्य प्रदेश	6 जिलों के लिए प्रत्येक जिला हेतु 10,000 संग्रह के मुद्रण के लिए रुपये 10 प्रति संग्रह की दर से (मंडला, नरसिंहपुर, भोपाल, विदिशा, शिवपुरी एवं ग्वालियर) योजनाओं के संग्रह का मुद्रण = 6 x 100000 = 600000	6 जिलों में प्रत्येक 300 युवा नेताओं को टी–शर्ट एवं टोपियॉ (300 x 6 x Rs. 200)= 3, 60,000/-	960000
16	अरुणाचल प्रदेश	3 जिलों के लिए प्रत्येक जिला हेतु 10,000 संग्रह के मुद्रण के लिए रुपये 10 प्रति संग्रह की दर से (रोइंग, तेजू, ईटा नगर) योजनाओं के संग्रह का मुद्रण =3 x 100000 = 300000	3 जिलों में प्रत्येक जिले के 300 युवा नेताओं को टी–शर्ट एवं टोपियॉ (300 x 3 x Rs. 200)= 1,80,000/-	480000
17	आसाम	4 जिलों के लिए प्रत्येक जिला हेतु 10,000 संग्रह के मुद्रण के लिए रुपये 10 प्रति संग्रह की दर से (तिनसुकिया, लखीमपुर, कामरुप एवं कोकराझार) योजनाओं के संग्रह का मुद्रण =4 x 100000 =400000	4 जिलों में प्रत्येक जिले के 300 युवा नेताओं को टी–शर्ट एवं टोपियॉ (300 x 4 x Rs. 200)= 240000	640000
18	पश्चिमी बंगाल	2 जिलों के लिए प्रत्येक जिला हेतु 10,000 संग्रह के मुद्रण के लिए रुपये 10 प्रति संग्रह की दर से (जलपाईगुडी, दार्जिलिंग) योजनाओं के संग्रह का मुद्रण =2 x 100000 =200000	2 जिलों में प्रत्येक जिले के 300 युवा नेताओं को टी–शर्ट एवं टोपियॉ (300 x 2 x Rs. 200)= 1, 20,000	320000
19	बिहार	8 जिलों के लिए प्रत्येक जिला हेतु 10,000 संग्रह के मुद्रण के लिए रुपये 10 प्रति संग्रह की दर से (किशनगंज, पुर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, दरबंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली एवं सरन) योजनाओं के संग्रह का मुद्रण = 8 x 100000 = 800000	8 जिलों में प्रत्येक जिले के 300 युवा नेताओं को टी–शर्ट एवं टोपियॉ (300 x 8 x Rs. 200)= 4, 80,000/-	1280000
20	उत्तर प्रदेश	18 जिलों के लिए प्रत्येक जिला हेतु 10,000 संग्रह के मुद्रण के लिए रुपये 10 प्रति संग्रह की दर से (बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, भदौई, इलाहाबाद, प्रतापगढ, सुलतानपुर, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, उन्नाव, कानपुर, कन्नौज, अरिया, इटावा, फिरोज़ाबाद, आगरा एवं मथुरा) योजनाओं के संग्रह का मुद्रण = 18 x 100000 = 1800000	18 जिलों में प्रत्येक जिले के 300 युवा नेताओं को टी–शर्ट एवं टोपियॉ (300 x 18 x Rs. 200)= 10, 80000	2880000
कुल				**16000000**

अनुबंध

पुनर्जागरण यात्रा 2014–2015 की क्रियान्वयन, योजना, गतिविधियॉ एवं समय सीमा एक दृष्टि में।

अनुबंध–1

पुनर्जागरण कार्यक्रम एवं गतिविधियॉ	परियोजना लागू करने की समय सीमा (12 माह)									
	दिसम्बर 2014	जनवरी 2015 प्रथम चरण के लिए	फरवरी 2015 प्रथम चरण	मार्च 2015	अप्रैल 2015	मई 2015	जून 2015	जुलाई 2015	अगस्त 2015	सितम्बर 2015
परियोजना सारांश व क्रियान्वयन योजना तैयार करना तथा सम्बंधित मण्डल निदेशकों एवं चुने गये 100 जनपदों के युवा समन्वयकों के साथ साझा करना।	30									
100 जनपदों में 100–100 गावों की पहचान, चयन तथा अन्तिम रूप देना।		10								
मीडिया तथा प्रसारण सामग्री का विकास–टोपियॉ, टी शर्ट लोगो, अभिलेख, तथा बैनर का नमूना, पोस्टर, प्रिन्ट सामग्री, फिल्म,सीडी, विज्ञापन		1–20								
दो दिवसीय विचार मंथन कार्यशाला सात राज्यों में एक साथ पुनर्जागरण यात्रा के क्रियान्वयन की कार्ययोजना का विकास तथा रणनीति का निर्धारण		15–16								
राज्य, जिला तथा पंचायत स्तरीय आयोजन समितियों का गठन। एडवोकेसी तथा संवेदित करने के लिए बैठक		19–23								
भारत सरकार की समस्त योजनाओं को संग्रह करके समस्त जनपदों के लिए मुद्रण एवं प्रेषण		30								
पुनर्जागरण कार्यक्रम से सम्बंधित, राष्ट्रीय, राज्य एवं जनपद स्तरीय प्रेस एवं मीडिया, अभियान एवं प्रेस मीट			10							
अभियान दलों के नेतृत्व कर्ता का प्रशिक्षण			1–7							
जनपद स्तर पर अभियान की शुरूआत		15 जनवरी 2015 से 15 फरवरी 2015								
चिन्हित सौ (जनपदों के 100–100 गॉवों में पुनर्जागरण अभियान के पूर्व वातावरण निर्माण		15 जनवरी 2015 से 15 फरवरी 2015								
अभियान शुरू करने की गतिविधियों की तैयारी, रथ तथा इसके अधोसंरचना एवं उपकरणों की तैयारी को अन्तिम रूप देना			15–25							
गॉवों से पुनर्जागरण रथ यात्रा की शुरूआत				01 मार्च–29 अप्रैल प्रथम चरण में 20 जनपद सम्मिलित होगे		30 अप्रैल से 28 जून 2015 द्वितीय चरण 40 जनपद सम्मिलित होगे		29 जून से 27 अगस्त 2015 तृतीय चरण 40 जनपद सम्मिलित होगे		
जनपद में जिला युवा सम्मेलन के साथ रथ यात्रा का समापन					29		28		27	
ग्राम स्तरीय सूचना संकलन के आधार पर जनपद तथा राज्य स्तरीय संकलित कार्ययोजना का निर्माण तथा राष्ट्रीय स्तर पर प्रेषण										
मथुरा (उ0प्र0) में राष्ट्रीय कार्यक्रम की प्राथमिक तैयारी										
मथुरा में आयोजित हाने वाले राष्ट्रीय पुनर्जागरण कार्यक्रम का आयोजन										25
समस्त रिपोर्ट व अभिलेखों का अन्तिम स्वरूप व प्रस्तुतीकरण।	दिसम्बर 2015 तक									

प्रथम चरण के लिए पुनर्जागरण यात्रा की शुरूआत 01 मार्च 2015 से 29 अप्रैल 2015 जिला अनुगमन युवा संसद के माध्यम से किया जायेगा। शेष जनपदों के कार्यक्रम उपरोक्त समय सीमा के अनुरूप आयोजित किये जायेगें। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय से धनराशि प्राप्त होते ही शेष जनपदों में कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिए धनराशि निर्गत कर दी जायेगी

पुनर्जागरण परियोजना अन्तर्गत आच्छादित जनपदो एवं राज्यों का विवरण

रूट नं0 1 (उत्तर)			रूट नं0 2 (पष्चिम)			रूट नं0 3 (दक्षिण)			रूट नं0 4 (पूर्व)1		
लेह से मथुरा			ओखा से मथुरा			कन्याकुमारी से मथुरा			रोइंग से मथुरा		
राज्य	क्रमांक	जनपद	राज्य	क्रमांक	जनपद	राज्य	क्रमांक	जनपद	राज्य	क्रमांक	जनपद
जम्मूकश्मीर	1.	लेह	गुजरात	1	ओखा	तमिलनाडू	1	कन्याकुमारी	अरूणाचल प्रदेश	1	रोइंग
	2	कारगिल		2	पोरबन्दर	केरल	2	तिरूवन्तपुरम्		2	तेजू
	3	श्रीनगर		3	राजकोट		3	कोल्लम		3	इटानगर
	4	बडगाम		4	सुरेन्द्रनगर	तमिलनाडू	4	विरूधुनगर	असम	4	तिनसुखिया
	5	पुलवामा		5	अहमदाबाद		5	मदुरई		5	लखीमपुर
	6	अनंतनाग		6	गॉधीनगर		6	डिंडिगुल		6	कामरूप
	7	उधमपुर		7	हिम्मतनगर		7	करूर		7	कोकराझार
	8	जम्मू	राजस्थान	8	डूंगरपुर		8	नमक्काल	प0बंगाल	8	जलपाईगुडी
	9	कठुवा		9	उदयपुर		9	सेलम		9	दार्जिलिंग
पंजाब	10	पठानकोट		10	राजसमंद		10	धर्मापुरी	बिहार	10	किशनगंज
हिमाचल प्रदेश	11	चम्बा		11	अजमेर	कर्नाटक	11	बंगलुरू		1	पुरनिया
	12	धर्मशाला		12	जयपुर		12	तुमकुर		12	मधेपुरा
	13	उना		13	दौसा	आंध्र प्रदेश	13	अनंतापुर		13	सहरसा
पंजाब	14	रोपड		14	भरतपुर		14	कुरनूल		14	दरभंगा
	15	मोहाली / चण्डीगढ				तेलंगाना	15	महबूबनगर		15	मुजफफरपुर
हरियाणा	16	अम्बाला				कर्नाटक	16	गुलवर्गा		16	वैशाली
	17	कैथल				महाराष्ट्र	17	शोलापुर		17	सारन
	18	जींद					18	लातूर	उ0प्र0	18	बलिया
	19	सोनीपत					19	नांदेड		19	गाजीपुर
दिल्ली	20	अलीपुर					20	वर्धा		20	वाराणासी
हरियाणा	21	फरीदाबाद					21	अकोला		21	भदोही
							22	नागपुर		22	इलाहाबाद
मथुरा			15. मथुरा			छत्तीसगढ	23	राजनंदगॉव		23	प्रतापगढ
						मध्य प्रदेश	24	मंडला		24	सुल्तानपुर
							25	नरसिंहपुर		25	अमेठी
							26	भोपाल		26	रायबरेली
							27	विदिशा		27	बाराबंकी
							28	शिवपुरी		28	लखनऊ
							29	ग्वालियर		29	उन्नाव
						राजस्थान	30	धौलपुर		30	कानपुर
										31	औरैया
						मथुरा				32	इटावा
										33	फिरोजाबाद
										34	आगरा
									मथुरा		

अनुबन्ध–3

जनपद युवा संसद एवं पुनर्जागरण अभियान हेतु चयनित कान्टेक्ट व्यक्ति, संदर्भ व्यक्तिओं एवं मुख्य व्यक्तिओं के लिए 100 गॉव के युवा मंडलों/महिला मण्डलों की सूची

जिला युवा समन्वयक का नाम——————————————————मण्डल निदेशक का नाम——————————————————

नेहरू युवा केन्द्र का नाम——————————जनपद——————————राज्य——————————माह——————————

गांव का नाम (जहाँ से अभियान आरंभ होगा) से गांव का नाम (जहाँ अभियान समाप्त होगा)

ब्लाक का नाम	क्रमांक	पुनर्जागरण अभियान गतिविधि हेतु गॉव का नाम	अभियान में सम्मिलित होने वाले नजदीकी गॉवों की संख्या	युवा मंडल/ महिला मण्डल का नाम	एनवाईसी0 का नाम जिसे गॉव आवंटित किया गया है।	गतिविधि को संचालन में सहयोग करने वाले व्यक्ति का नाम	पड़ोस युवा संसद में प्रतिभागिता हेतु चयनित गांव के युवा का नाम	इस गतिविधि में सहयोग करने वाले संदर्भ व्यक्ति का नाम	गतिविधि में उपस्थित रहने वाले प्रमुख हितधारक का पदनाम	गॉव में पूर्व वातावरण निर्माण गतिविधि की निर्धारित तिथि	गॉव में पुनर्जागरण रथ यात्रा की तिथि	सम्मिलित होने वाले युवाओं की संख्या

दिनांक ....

जिला युवा समन्वयक का नाम व हस्ताक्षर

कार्ययोजना प्रपत्र– राज्य एवं जिला स्तरीय पुनर्जागरण

जनपद————————————जिला युवा समन्वयक का नाम————————————राज्य————————————मण्डल निदेशक का नाम————————————

कार्यक्रम एवं गतिविधि का नाम	निर्धारित कार्यक्रम की संख्या	आयोजित गतिविधि (गॉव/जिला/ राज्य स्तर पर)	आच्छादित (गॉव/जिला /राज्य)	आच्छादित किये जाने वाले युवा मण्डल/महिला मण्डलो की संख्या	प्रतिभागी/ लाभार्थियों की संख्या	समन्वित करने वाले विभाग/ एजेन्सी	अवधि/तिथि	बजट
परियोजना सारांश की तैयारी, क्रियान्वयन योजना को मण्डल निदेशकों एवं सम्बंधित जिला युवा समन्वयकों के साथ साझा करना								
प्रति जनपद 100 गॉव की पहचान एवं चयन								
मीडिया एवं प्रसारण सामाग्री विकास (प्रति जनपद–300 टोपियॉ, 300 टी–शर्ट,बैनर, पोस्टर, व प्रिन्ट मैटर का डिजाईन एव अभिलेख, फिल्म सीडी व विज्ञापन								
पुनर्जागरण की कार्य योजना विकसित तथा रणनीति बनाने के लिए दो दिवसीय कार्यशाला								
राज्य, जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तरीय आयोजन समितियों का गठन								
राज्य, जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तरीय एडवोकेसी एवं संवेदित करने के लिए बैठको का आयोजन								
विभिन्न सरकारी योजनाओं के संकलन का प्रिंट एवं प्रेषण समस्त जनपदों के लिए रू. 10000 प्रति जनपद								
प्रेस एवं मीडिया अभियान								
पुनर्जागरण कार्यक्रम के सम्बन्ध मे प्रेस कांफ्रेंस								
50 युवा अभियान दल के प्रमुखों का प्रशिक्षण								
जनपद स्तरीय अभियान की शुरूआत								
100 जनपदों के 100–100 गावों में पुनर्जागरण पूर्व अभियान का आयोजन								
अभियान प्रारम्भ करने से पूर्व तैयारियॉ, रथ को अन्तिम रूप देना, तथा इसकी अधोसंरचना एवं उपकरण								
गॉवों में पुनर्जागरण रथ यात्रा का संचालन								
जिला युवा सम्मेलन – पुनर्जागरण का समापन								
जनपद स्तरीय एवं संकलित राज्य स्तरीय कार्ययोजना को अंतिम स्वरूप देना तथा ने0यु0के0सं0 मुख्यालय को प्रेषण।								

अनुबन्ध– 5 (1)

राज्य आयोजन समिति का विवरण

क्र0सं0	राज्य का नाम	बैठक स्थल एंव बैठक की तिथि	बैठक में सम्मिलित होने वाले विभाग/संस्था का नाम	आयोजित राज्य सलाहकार समिति बैठक की संख्या	बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का नाम व पद	बैठक में सम्मिलित होने वाले सदस्यों की संख्या	परिणाम एवं टिप्पणी

नोट– यह गुणवत्ता पूर्ण आख्या के साथ प्रस्तुत किया जाय।

मण्डल निदेशक का हस्ताक्षर व दिनांक

अनुबन्ध–5 (2)

जिला आयोजन समिति का विवरण

क्र0सं0	राज्य का नाम	जनपद का नाम	बैठक स्थल एंव बैठक की तिथि	बैठक में सम्मिलित होने वाले विभाग/संस्था का नाम	आयोजित जिला सलाहकार समिति बैठक की संख्या	बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का नाम व पद	बैठक में सम्मिलित होने वाले सदस्यों की संख्या	परिणाम एवं टिप्पणी

नोट– यह गुणवत्ता पूर्ण आख्या के साथ प्रस्तुत किया जाय।

जिला युवा समन्वयक का हस्ताक्षर व दिनांक

अनुबन्ध– 5 (3)

गॉव स्तरीय आयोजन समिति का विवरण एवं बैठक

राज्य का नाम————————————————— जनपद का नाम——————————————

क्र0 सं0	गॉव का नाम	बैठक स्थल एंव बैठक की तिथि	बैठक में सम्मिलित होने वाले विभाग/संस्था का नाम	आयोजित गॉव सलाहकार समिति बैठक की संख्या	बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का नाम व पद	बैठक में सम्मिलित होने वाले सदस्यों की संख्या	परिणाम एवं टिप्पणी

नोट– यह गुणवत्ता पूर्ण आख्या के साथ प्रस्तुत किया जाय।

जिला युवा समन्वयक का हस्ताक्षर रा0यु0कोर का हस्ताक्षर एवं तिथि

अनुबन्ध– 5 (4)

जनपदवार गॉव सलाहकार समिति का आयोजित बैठक विवरण

राज्य का नाम————————————————— जनपद का नाम——————————————

निर्धारित लक्ष्य (गठित की जाने वाले गॉव सलाहकार समिति की संख्या)	लक्ष्य प्राप्ति (गठित की जाने वाले गॉव सलाहकार समिति की संख्या)	निर्धारित लक्ष्य (आयोजित की जाने वाली गॉव सलाहकार समिति की संख्या)	लक्ष्य प्राप्ति (आयोजित की जाने वाली गॉव सलाहकार समिति की संख्या)	गॉव सलाहकार समिति के मुख्य बिन्दु

जिला युवा समन्वयक का हस्ताक्षर रा0यु0कोर का हस्ताक्षर

दिनांक———————

स्थल————————

अनुबन्ध–6 (1)

पडोस संसद एवं पुनर्जागरण यात्रा हेतु चयनित जनपदवार युवाओं का विवरण

जनपद का नाम————————————————राज्य————————————————————

अ. पुनर्जागरण यात्रा के अग्रणी दल (प्रशिक्षित युवा)

क्र0सं0	प्रतिभागी का नाम	लिंग	आयु	हस्ताक्षर	रिमार्क/टिप्पणी

ब. पडोस संसद (एन0पी0) में युवाओं की प्रतिभागिता

क्र0सं0	पडोस संसद के गॉव का नाम	प्रतिभागी का नाम	प्रतिभागी युवा मंडल	प्रतिभागी गॉव	लिंग	आयु	श्रेणी	हस्ताक्षर

स. पुनर्जागरण यात्रा अभियान में सम्मिलित युवा

क्र0सं0	प्रतिभागी का नाम	लिंग	आयु	श्रेणी	हस्ताक्षर	रिमार्क/टिप्पणी

जिला युवा समन्वयक का हस्ताक्षर

इंचार्ज रा0यु0कोर का नाम व हस्ताक्षर

दिनांक————————

स्थान————————

जिला स्तरीय युवाओं का प्रशिक्षण (अग्रणी टीम)

राज्य का नाम————————————————————————जनपद का नाम————————————————————————

प्रशिक्षण कार्यक्रम का स्थल	प्रशिक्षण के लिए विषय एंव थीम	अवधि एवं तिथि	सहयोग करने वाले विभाग एवं गैर सरकारी संस्था	संदर्भ व्यक्ति का नाम व विषय विषेषज्ञता	कार्यक्रम में सम्मिलित वीआईपी का नाम व पदनाम	सम्मिलित प्रतिभागियों की संख्या																	
						अनु0जाति			अ0ज0जाति			पिछडी जाति			अल्पसंख्यक			सामान्य			योग		
						म	पु	योग	म	पु	योग	म	पु	योग	म	पु	योग	म	पु	योग	म	पु	योग

जिला युवा समन्वयक का हस्ताक्षर

दिनांक———————————

स्थान————————————

अनुबन्ध–7 (1)

पुनर्जागरण यात्रा पर जिला स्तरीय प्रचार–प्रसार अभियान आख्या

(प्रचार–प्रसार सामग्री को विकसित करना–300 कैप एव टी – शर्ट प्रति जनपद, बैनर, पोस्टर, मुद्रण सामग्री, फिल्म, सीडी को तैयार एवं डिजाईन करने हेतु विज्ञापन)

जनपद का नाम–

जनपद का नाम	प्रेस कान्फ्रेंस आयोजित करने की तिथि एवं स्थल	अभियान प्रचार प्रसार करने वाले प्रिट एवं इलेक्ट्रानिक संचार मीडिया का नाम	प्रचार सामग्री का निर्माण, वितरण तथा प्रदर्शन यथा पोस्टर, ब्रोशर एवं पम्पलेट आदि	युवाओं की संख्या जिन्हे टी शर्ट, कैप वितरित की गयी	पुनर्जागरण यात्रा के दौरान तैयारी की गई वीडियोग्राफी/डॉक्यूमेन्ट्री	टिप्पणी

जिला युवा समन्वयक का नाम व हस्ताक्षर

दिनांक————————————

स्थान————————————

अनुबन्ध–7 (2)

पुनर्जागरण यात्रा पर राज्य स्तरीय प्रचार–प्रसार अभियान आख्या

(प्रचार–प्रसार सामग्री को विकसित करना–300 कैप एव टी शर्ट प्रति जनपद, बैनर, पोस्टर, मुद्रण सामग्री, फिल्म, सीडी को तैयार एवं डिजायन करने हेतु विज्ञापन)

राज्य का नाम	प्रेस कान्फ्रेंस आयोजित करने की तिथि एवं स्थल	अभियान प्रचार प्रसार करने वाले प्रिट एवं इलेक्ट्रानिक संचार मीडिया का नाम	प्रचार सामग्री का निर्माण, वितरण तथा प्रदर्शन यथा पोस्टर, ब्रोशर एवं पम्पलेट आदि	युवाओं की संख्या जिन्हे टी शर्ट, कैप वितरित की गयी	पुनर्जागरण यात्रा के दौरान तैयारी की गई वीडियोग्राफी/डॉक्यूमेन्ट्री	टिप्पणी

मण्डल निदेशक का नाम व हस्ताक्षर

दिनांक————————————

स्थान————————————

अनुबन्ध–8

जिला स्तरीय पुनर्जागरण शुभारम्भ समारोह की आख्या

राज्य का नाम––––––––––––––––––––––––––––––––––जनपद का नाम––––––––––––––––––––––––––––––––––

सम्पन्न शुभारंभ उत्सव कार्यक्रम स्थल का नाम	कार्यक्रम की तिथि	सहयोग करने वाली संस्था एवं विभाग	संदर्भ व्यक्ति का नाम व विषय विषेषज्ञता का क्षेत्र	कार्यक्रम में सम्मिलित वीआईपी/सम्मानित का नाम व पदनाम	जिला स्तरीय युवा सम्मेलन का परिणाम	सम्मिलित प्रतिभागियों की संख्या																	
						अनु0जाति			अ0ज0जाति			पिछडी जाति			अल्पसंख्यक			सामान्य			योग		
						म	पु	योग	म	पु	योग	म	पु	योग	म	पु	योग	म	पु	योग	म	पु	योग
					अलग से पृष्ठ संलग्न करें																			

जिला युवा समन्वयक का नाम व हस्ताक्षर

दिनांक––––––––––––––––

स्थान––––––––––––––––

अनुबन्ध–9 (ए)

ने0यु0के0 जिला से मण्डल कार्यालय को

नेहरू युवा केन्द्र संगठन

युवा क्लब विकास कार्यक्रम 2014–15

जनपद––––––––––––––––जिला युवा समन्वयक/उपनिदेशक का नाम––––––––––––––––जिले में ब्लाको की संख्या––––––एन0वाई0सी0की संख्या–––––––––––––––

कार्यक्रम का नाम	क्र0 सं0	कार्यक्रम इकाई	उस ब्लाक का नाम जहॉ कार्यक्रम आयोजित किया गया	प्रत्येक गॉव/स्थान का नाम जहॉ कार्यक्रम आयोजित किया गया	प्रत्येक कार्यक्रम का दिनांक...... से.........तक दिनों की संख्या	कार्यक्रम का निर्धारित लक्ष्य		अन्य विभागों एवं संस्थाओं से संसाधन प्राप्त करने का प्रयास किया गया				सहयोग करने वाले विभाग व संस्था का नाम	कार्यक्रम में सम्मिलित वीआईपी/सम्मानित का नाम व पदनाम	प्रतिभाग करने वाले युवा क्लबों की संख्या	नेयुके से सम्बद्ध युवा क्लब/महिला मण्डल के प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों/लाभार्थियों की संख्या																	
						निर्धारित	प्राप्ति	धनराशि प्राप्त	आमंत्रित सदंभ व्यक्ति प्रशिक्षण एव विशेषज्ञ का नाम		सामग्री,,उपकरण, परिवहर आदि				अ0जाति			अ0ज0 जाति			अल्प0 संख्यक			पिछडी जाति			सामान्य जाति			कुल योग		
															पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
युवा क्लब विकास कार्यक्रम	1	कार्य0 सं0																														
	2	सक्रिय युवा मंडलों की संख्या																														
	3	बनाये गये युवा मंडलों की संख्या																														
	4	युवा मंडलों की संख्या जिसका प्रोफाइल नेयुकेसं की वेबसाईड पर अपलोड किया गया																														
		जनधन योजनान्तर्गत युवा मंडल/महिला मंडल के सदस्यों की संख्या जिनका खाता बैक में खोला गया।																														
		सर्वे के अनुसार युवा मण्डल के सदस्यों की संख्या जिनके घर में शौचालय नही है।																														

		युवा मण्डल / ग्रामीण सदस्यों की संख्या जिनके घर में शौचालय आवर्ती कार्रवाई के रुप में निर्मित कराया गया।																														
		स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत उन युवा मण्डल / ग्रामीण युवाओं की संख्या जो 100 घंटे (2घंटा प्रति हफ्ते) कार्य के प्रति समर्पित किये है।																														

1. यह ध्यान रहे कि यह एक बार की गतिविधि है। यद्यपि यह माना जा रहा है कि वित्तीय वर्ष के विभिन्न माहों में सम्पादित कार्यकमों को सूचित किया जायेगा।
2. कार्यक्रम की अवधि का उल्लेख वही किया गया है जो कार्य योजना 2014–15 में लिखा गया है।
3. लाभार्थियों / प्रतिभागियों का कववरण जैसे नाम, आयु, आवासीय पता, संपर्क नम्बर आदि संबंधित जिला एवं मंडल कार्यालयों में जिला वार विवरण जॉच हेतु, और यह प्रमाण दिया जायेगा कि इसका अनुपालन किया गया है।
4. उपकरण, परिवहन, मानव संसाधन के रुप में एकत्रित किये गये संसाधन को राज्य / स्थानीय बाजार दर के अनुसार राशि में परिवर्तित किया जायेगा।
5. प्रमाणित किया जायेगा कि उपरोक्त राशि एवं एकत्रित संसाधन की सूचना सही है।

नोट :– कृपया उपरोक्त प्रपत्र प्रयोग में लायें *प्रमाणित करें कि रिपोर्ट में दी गई राशि सही है।

द्वारा तैयार किया गया नाम एवं पदनाम.....
हस्ताक्षर

जिला युवा समन्वयक के हस्ताक्षर एवं
मोहर

अनुबन्ध–9 (ब)

जिला नेहरू युवा केन्द्र से मण्डल कार्यालय

युवा मंडल/महिला मण्डल के अनुसार

जिन घरों में शौचालय उपलब्ध है एवं जिनका बैक में खाता है की सूचना युवा मंडल एवं महिला मण्डल के सदस्यों के माध्यम से प्राप्त की गयी।

युवा मंडल/महिला मण्डल का नाम———————— गॉव व डाकखाना (पिन कोड सहित)..... ग्राम पंचायत.....

जनपद———————— ब्लाक/तहसील———————— राज्य———————————— सर्वे किये गये सदस्यों की संख्या————————

क्रमांक	युवा क्लब सदस्य का नाम	परिवार के मुखिया का नाम	सम्पर्क विवरण		उनके पास क्या है	
			सम्पर्क फोन/मोबाइल नं0	ईमेल	घर में शौचालय है (हॉ/नही)	बैक खाता है (हॉ/नही)

इस रिपोर्ट को जिला कार्यालय में रखा जाय। मण्डल कार्यालय को मात्र संख्या उपलब्ध कराये।

नोटः– कृपया उपरोक्त प्रपत्र ही प्रयोग में लाया प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी सूचनाऍं सत्य है।

तैयार किया गया द्वारा– लेखालिपिक
नाम..... हस्ताक्षर.....

दिनांक————

हस्ताक्षर जिला युवा समन्वयक
नाम.....

अनुबन्ध–9 (स)

मण्डल कार्यालय से संगठन मुख्यालय को

जिलेवार

जिन घरों में शौचालय उपलब्ध है एवं जिनका बैक में खाता है की सूचना युवा क्लब एवं महिला मण्डल के सदस्यों के माध्यम से प्राप्त की गयी।

मण्डल/राज्य का नाम————————————

क्रमांक	जनपद का नाम	आछांदित युवा मंडल/महिला मण्डलों की संख्या	सर्वे किये गये युवा क्लब सदस्यों की संख्या	परिवार के मुखिया का नाम जिसका सर्वे किया गया	आच्छादित					सर्वे किए गए युवा मण्डल एंव महिला मंडल की संख्या जिसमें	
					ग्राम पंचायत की संख्या	गॉवों की संख्या	ब्लाक/तहसील की संख्या	जनपदों की संख्या	राज्यों की संख्या	घर में शौचालय नही है	बैक खाता नही है

नोट :– कृपया उपरोक्त प्रपत्र ही प्रयोग करें। प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी सूचनाएँ सत्य है।

तैयार किया गया द्वारा– लेखाकार, मण्डल कार्यालय

हस्ताक्षर.....

दिनांक————

हस्ताक्षर मण्डल निदेशक

जिला युवा समन्वयक के हस्ताक्षर

नेहरू युवा केन्द्र संगठन

मण्डल वार संकलित युवा मंडल विकास कार्यक्रम की आख्या

मण्डल का नाम——————————————मण्डल निदेशक का नाम—————————————राज्यों की संख्या ————————————————————संघ शासित प्रदेशों की संख्या——————————————

मण्डल में नेहरू युवा केन्द्रो की संख्या——————————————नेहरू युवा केन्द्रों की संख्या जिसके आधार पर रिपोर्ट—————————————————डिफाल्टर केन्द्रों की संख्या———————————

कार्य क्रम का नाम	क0 सं0	कार्यक्रम इकाई	कार्यक्रम का निर्धारित लक्ष्य		अन्य विभागों एवं संस्थाओं से संसाधन प्राप्त करने का प्रयास किया गया			सहयोग करने वाले विभाग व संस्था का नाम	कार्यक्रम में सम्मिलित वीआईपी/सम्मानित का नाम व पदनाम जैसे माननीय सांसद विकासात्मक विभाग के पदाधिकारी या अन्य गणमान्य व्यक्ति	प्रतिभाग करने वाले युवा मण्डलों की संख्या	नेयुके से सम्बद्ध युवा क्लब/महिला मण्डल के प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों/लाभार्थियों की संख्या																	
											अ0जाति			अ0ज0 जाति			अल्प0 संख्यक			पिछडी जाति			सामान्य जाति			कुल योग		
			निर्धारित	प्राप्ति	धनराशि प्राप्त	संदर्भ व्यक्ति प्रशिक्षक तथा विशेषज्ञ का नाम	समग्री,,उपकरण, परिवहर आदि				पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
युवा क्लब विकास कार्यक्रम	1	कार्य0 सं0																										
	2	सक्रिय युवा मंडलों की संख्या																										
	3	बनाये गये युवा मंडलों की संख्या																										
	4	युवा मंडलों की संख्या जिसका प्रोफाइल नेयुकेसं की वेबसाईड पर अपलोड किया गया																										
	5	जनधन योजनान्तर्गत युवा मंडल/महिला मंडल के सदस्यों की संख्या जिनका खाता बैक में खोला गया।																										
	6	सर्वे के अनुसार युवा मण्डल के सदस्यों की संख्या जिनके घर में शौचालय नही है।																										
	7	फालोअप के रुप में युवा मण्डल/ग्रामीण सदस्यों की संख्या जिनके घर में शौचालय निर्मित कराया गया।																										
	8	स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत उन युवा मण्डल/ग्रामीण युवाओं की संख्या जो 100 घंटे (2घटा प्रति हप्ते) कार्य के प्रति समर्पित किये है।																										

1. यह ध्यान रहे कि यह एक बार की गतिविधि है। यद्यपि यह माना जा रहा है कि वित्तीय वर्ष के विभिन्न माहों में सम्पादित कार्यक्रमों को सूचित किया जायेगा।
2. कार्यक्रम की अवधि का उल्लेख वही किया गया है जो कार्य योजना 2014–15 में लिखा गया है।

3. लाभार्थियों/प्रतिभागियों का कववरण जैसे नाम, आयु, आवासीय पता, संपर्क नम्बर आदि संबंधित जिला एवं मंडल कार्यालयों में जिला वार विवरण जॉच हेतु, और यह प्रमाण दिया जायेगा कि इसका अनुपालन किया गया है।
4. उपकरण, परिवहन, मानव संसाधन के रुप में एकत्रित किये गये संसाधन को राज्य/स्थानीय बाजार दर के अनुसार राशि में परिवर्तित किया जायेगा।
5. प्रमाणित किया जायेगा कि उपरोक्त राशि एवं एकत्रित संसाधन की सूचना सही है।

नोट :– कृपया उपरोक्त प्रपत्र प्रयोग में लायें *प्रमाणित करें कि रिपोर्ट में दी गई राशि सही है।

नाम एवं पदनाम.....

हस्ताक्षर मंडल निदेशक

हस्ताक्षर

जिलेवार गॉव स्तरीय आख्या पार्ट–अ– रथ यात्रा गतिविधियॉ और पार्ट–ब पडोसी युवा संसद

पार्ट–(अ) रथ यात्रा गतिविधियॉ

रूट के अनुसार गॉव स्तरीय कार्यक्रम आख्या (राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक द्वारा जि0यु0स0 को प्रस्तुत किया जाए)

ब्लाक का नाम	क्रमांक	गॉव का नाम	तिथि	कार्यक्रम एवं गतिविधि का नाम	संदर्भ व्यक्ति का नाम	कार्यक्रम में सम्मिलित वीआईपी/पीआरआई का नाम	सम्मिलित प्रतिभागियों की संख्या																	
							अनु0जाति			अ0ज0जाति			पिछडी जाति			अल्पसंख्यक			सामान्य			योग		
							म	पु	योग	म	पु	योग	म	पु	योग	म	पु	योग	म	पु	योग	म	पु	योग

पार्ट–(ब) पडोस युवा संसद

रूट के अनुसार गॉव स्तरीय कार्यक्रम आख्या (राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक द्वारा जि0यु0स0 को प्रस्तुत किया जाए)

ब्लाक का नाम	क्रमांक	गॉव का नाम	दिनांक	कार्यक्रम अध्यक्ष का नाम व पद	प्रत्येक गांव में पडोसी संसद में किये चर्चा एवं निर्णय लिए गये बिन्दु अनुबंध 10 अ के अनुसार बतायें	संदर्भ व्यक्ति का नाम	कार्यक्रम में सम्मिलित वीआईपी/पीआरआई का नाम	सम्मिलित प्रतिभागियों की संख्या																	
								अनु0जाति			अ0ज0जाति			पिछडी जाति			अल्पसंख्यक			सामान्य			योग		
								म	पु	योग	म	पु	योग	म	पु	योग	म	पु	योग	म	पु	योग	म	पु	योग

स्वयं सेवक के हस्ताक्षर

जिला युवा समन्वयक के हस्ताक्षर

दिनांक————————

अनुबन्ध–10 (अ)

गॉव स्तरीय पडोसी संसद चर्चा, अग्रसारण आख्या और कार्ययोजना

गॉव का नाम———————— ब्लाक———————— जनपद———————————— प्रभारी स्वयंसेवक (एनवाईसी)————————

गतिविधि की तिथि———————————— सम्मिलित गॉवों की संख्या————————————

विषयगत मुख्य मुद्दे जिस पर चर्चा की गयी मार्गनिर्देशिका का पृष्ठ संख्या 3 देखें स्थानीय, सामाजिक एवं गांव के विकास/कल्याण की आवश्यकतानुरूप	समाज में उत्पन्न समस्यों, उम्मीदो, आकांक्षाओं पर ग्रामीणों एवं युवा को सम्बोधन व उसके समाधान	ग्रामीणों युवाओं के साथ समस्याओं पर चर्चा कर उसके समाधान पर विचार करना।	विकास के लिए आवश्यक संसाधन को जुटाने में आ रही समस्या एवं समाधान के उपाय	विभिन्न स्तर से संसाधन एकत्र करने माध्यम (ग्राम पंचायत, जिला प्रशासन, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार)	संसाधन एकत्र करने के लिए सहयोग करने वाले विभाग/संस्थाओं को चिन्हित करना	कार्य पूर्ण होने की समयावधि	कार्य पूर्ण हेतु अध्यक्ष अथवा उसके ग्रुप को दी गयी जिम्मेदारी (व्यक्ति का नाम)

नोट– पडोसी संसद के बैठक कार्यवाही को उपस्थिति सीट के साथ संलग्नक 10बी किया जायें।

अनुबन्ध–10 (ब)

पडोस के संसद की उपस्थिति प्रपत्र

गॉव का नाम—————————— /ब्लाक————————————जनपद————————————————प्रभारी एनवाईसी——————————————

गतिविधि की तिथि..........................

क0 सं0	प्रतिभागी का नाम	प्रतिभागी का गॉव	प्रतिभागी युवा मंडल	पदनाम	लिंग	उम्र	श्रेणी	मोबाइल नं0	हस्ताक्षर

एक सौ गॉव में पड़ौसी संसद के दौरान चर्चित व सिफारिश किये गये विषय की जिला स्तरीय समेकित आख्या–

नेहरू युवा केन्द्र का नाम—————————— युवा समन्वयक का नाम———————————— राज्य——————————

पड़ौसी संसद आयोजित करने वाले गॉव की संख्या–**(**अनुबन्ध 10 के अनुसार सूची संलग्न करें**)**

गतिविधि में भाग लेने वाले कुल गॉवों की संख्या—————— कवर किये गये की संख्या——————— प्रतिभागी युवा मण्डलों की संख्या—————

प्रभारी एन0वाई0सी0 की संख्या——————— गतिविधि आयोजन अवधि———————————— से ———————————————— तक

सहयोग करने वाले विभाग एवं संस्था का नाम——————————————————————————————

गॉव के विकास के लिये चर्चा किये गये विषयगत क्षेत्र, स्थानीय एवं सामाजिक मुद्दो की सूची	विशिष्ट मुद्दे– समस्यायें, अपेक्षायें जो कि युवाओं के साथ चर्चा के बाद समाधान हेतु उभरे	ग्रामीण एवं युवाओं की चर्चित/महसूस की गई समस्या समाधान के लिये सुझाव	चर्चा के उपरान्त उभरे समस्याओं के समाधान के लिये आवश्यक संसाधन	विभिन्न स्तरों पर समस्याओं के समाधान के स्त्रोत **(**ग्राम पंचायत, जिला प्रशासन, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार**)**	चिन्हित मुद्दों के समाधान के लिये आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने वाले विभाग, संस्था	कार्य पूर्ण करने की अवधि व समय सीमा	कार्य पूर्ण करने की जिम्मेदारी लेने वाले अध्यक्ष अथवा समूह के व्यक्तियों के नाम

जिला स्तरीय सम्मेलन कार्यक्रम की आख्या – पुनर्जागरण उत्सव का चरम बिन्दु

राज्य का नाम——जनपद का नाम——————————————————————

जिला सम्मेलन कार्यक्रम का स्थल का नाम	कार्यक्रम तिथि	कार्यक्रम में सहयोग करने वाली संस्था का नाम	संदर्भ व्यक्ति का नाम व पद	कार्यक्रम में सम्मिलित वीआईपी एवं गणमान्य व्यक्तियों का नाम	जिला सम्मेलन के परिणाम	प्रतिभागियों का विवरण																	
						अनु0जाति			अ0ज0जाति			पिछडी जाति			अल्पसंख्यक			सामान्य			योग		
						म	पु	योग	म	पु	योग	म	पु	योग	म	पु	योग	म	पु	योग	म	पु	योग
					अलग पृष्ठ पर संलग्न करें।																		

जिला युवा समन्वयक का नाम व हस्ताक्षर

दिनांक——————

स्थान——————

राज्य एवं जिला स्तर पर पुनर्जागरण गतिविधि हेतु संकलित आख्या प्रपत्र

नेयुके जनपद————————जिला युवा समन्वयक का नाम————राज्य————मण्डल निदेशक का नाम————————

कार्यक्रम एवं गतिविधियों का नाम	गतिविधियों की संख्या	तिथि एवं अवधि	गतिविधि स्तर (गॉव/जिला/राज्य)	आछादित संख्या (गॉव/जिला/राज्य)	आछादित युवा मंडलों /महिला मण्डलो की संख्या	प्रतिभागी/लाभार्थी संख्या	सहयोगी विभाग/संस्था
प्रति जनपद 100 गॉवो का चिन्हांकन एवं पहचान							
रणनीति एवं कार्ययोजना विकास हेतु दो दिवसीय ब्रेन स्टोरमिंग कार्यशाला							
राज्य, जिला तथा पंचायत स्तरीय आयोजन समितियों का गठन।							
राज्य, जनपद एव ग्राम पंचायत स्तर पर एडवोकेसी तथा संवेदित करण बैठको का आयोजन							
प्रति जनपद 10000 भारत सरकार की समस्त योजनाओं के संकलन का मुद्रण एवं प्रेषण							
प्रेस एवं मीडिया अभियान							
पुनर्जागरण कार्यक्रम पर प्रेस कान्फ्रेंस							
अभियान के अग्रणी दल के 50 युवाओं का प्रशिक्षण							
जनपद स्तर अभियान का शुभारम्भ							
पूर्व–यात्रा वातावरण निर्माण अभियान							
गॉवों में पुनर्जागरण रथ यात्रा							
जिला युवा सम्मेलन– समापन समारोह							
राज्य एवं जनपद स्तर पर समेकित कार्ययोजना को अन्तिम स्वरूप देकर मुख्यालय को प्रेषण							

कृपया पुनर्जागरण के अंतर्गत प्रतिभागियों/लाभार्थियों की संख्या के विवरण अनुबन्ध 14 पर उपलब्ध करायें।

अनुबन्ध–14

कार्यक्रम एवं गतिविधि का नाम	**प्रतिभागियों/लाभार्थियों का विवरण**																	
	अनु0जाति			**अ0ज0जाति**			**पिछडी जाति**			**अल्पसंख्यक**			**सामान्य**			**योग**		
	म	**पु**	**योग**	**म**	**पु**	**योग**	**म**	**पु**	**योग**	**म**	**पु**	**योग**	**म**	**पु**	**योग**	**म**	**पु**	**योग**
प्रति जनपद 100 ग्राम पंचायतों का चिन्हाकन एवं चयन																		
रणनीति निरूपण एवं कार्ययोजना विकास हेतु दो दिवसीय ब्रेन स्टोरमिंग कार्यशाला																		
राज्य, जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तरीय आयोजन समिति का गठन																		
राज्य, जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तरीय एडवोकेसी एवं संवेदीकरण बैठकों का आयोजन																		
प्रति जनपद 10000 भारत सरकार की समस्त योजनाओं के संकलन का मुद्रण एवं प्रेषण																		
प्रेस एवं मीडिया अभियान																		
पुनर्जागरण कार्यक्रम पर प्रेस कान्फ्रेंस																		
अभियान के अग्रणी दल के युवाओं का प्रशिक्षण																		
जनपद स्तर अभियान का शुभारम्भ																		
पूर्व–यात्रा वातावरण निर्माण अभियान																		
गॉवों में पुनर्जागरण रथ यात्रा																		
जिला युवा सम्मेलन– समापन समारोह																		

हस्ताक्षर स्वयंसेवक/एनवाईसी **हस्ताक्षर जिला युवा समन्वयक**

ने0यु0के0————————

पुनर्जागरण रथ का प्रतिरुप Prototype of Chariot for Punarjagaran Yatra